रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVERNMENT OF INDIA

सं. 398] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 30, 2002/वैशाख 10, 1924
No. 398] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 30, 2002/VAISAKHA 10, 1924

गृह मंत्रालय

(एन. ई. डिवीजन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2002

नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट ऑफ त्रिपुरा (एन एल एफ टी) और ऑल त्रिपुरा टाईगर फोर्स (ए टी टी एफ) के मामले में अधिकरण की रिपोर्ट

रिपोर्ट

का. आ. 471(अ).—विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके बाद अधिनियम कहा गया है) की धारा-3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने भारत के राजपत्र (असाधारण) में 19 अक्तूबर, 2001 को नई दिल्ली में प्रकाशित गृह मंत्रालय की अधिसूचना के द्वारा नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट ऑफ त्रिपुरा (एन एल एफ टी) और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ए टी टी एफ) को विधि-विरुद्ध संगम घोषित किया था। उक्त अधिसूचना निम्न प्रकार है :—

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 3 अक्तूबर, 2001

का0आ0 986 (अ)--यतः नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (अब से इन्हें एन0एल0एफ0टी0 के रूप में जाना जाए) का स्पष्ट लक्ष्य अन्य सशस्त्र अलगाववादी संगठनों के सहयोग और सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से त्रिपुरा को भारत से अलग करके स्वतंत्र " **बोरोक्लैण्ड त्विपरा**" की स्थापना करना तथा अलगाव के लिए त्रिपुरा के स्थानीय लोगों को भड़काना है, जिससे त्रिपुरा को भारत से अलग किया जा सके ।

और यतः ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (जिसे इसके पश्चात ए0टी0टी0एफ0 कहा गया है) का स्पष्ट लक्ष्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य सशस्त्र अलगाववादी संगठनों के सहयोग से, त्रिपुरा, असम, [illegible] नागालैण्ड, मेघालय तथा अरुणाचल प्रदेश को शामिल करके सात प्रदेशों के एक पृथक राष्ट्र की स्थापना करना, जिससे उक्त राज्य भारत से अलग हो सकें तथा इन राज्यों को भारत संघ से अलग करने के लिए सशस्त्र [illegible] को जारी रखना है और इस प्रकार इन राज्यों को भारत से अलग करना है ।

और यतः केन्द्र सरकार का मत है कि एन0एल0एफ0टी0 और ए0टी0टी0एफ0 :

(I) अपने लक्ष्य के अनुसरण में विद्रोही तथा हिंसक गतिविधियों में लिप्त है [illegible] प्रकार इन्होनें सरकार के प्राधिकार को क्षति पहुंचाई है तथा लोगों में डर व [illegible]

(II) नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (एन0एस0सी0एन0) (आई0एम0) के इसाक स्व गुट, दि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) तथा मणिपुर के मैतई उग्रवादी संगठनों जैसे अन्य विधि विरुद्ध संगठनों के साथ संपर्क बनाए हैं जिसका लक्ष्य उनका समर्थन हासिल करना है,

(III) हाल के पिछले कुछ समय में अपने उद्देश्य एवं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई हिंसक तथा विधि विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त रहे हैं जो कि भारत की प्रभुसत्ता तथा एकता के लिए हानिकर है ।

और यतः केन्द्रीय सरकार का यह भी मत है कि हिंसक एवं विधि विरुद्ध गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(क) नागरिकों तथा पुलिस एवं सुरक्षा बलों के कार्मिकों की हत्या,

(ख) त्रिपुरा में व्यवसायियों एवं व्यापारियों सहित जनता से जबरन धन ऐंठना,

(ग) असामाजिक एवं अवैध माध्यमों से भारी मात्रा में परिष्कृत शस्त्र व गोलाबारूद जुटाना तथा उन्हें गुप्त रूप से पड़ोसी देश के माध्यम से भारत में लाना,

(घ) सुरक्षित आश्रय, प्रशिक्षण, शस्त्र व गोलाबारूद आदि जुटाने के प्रयोजन के लिए पड़ोसी देश में शिविर स्थापित करना तथा उन्हें बनाए रखना,

(ङ) त्रिपुरा में जनजातीय एवं गैर जनजातीय समुदायों के बीच साम्प्रदायिक संघर्ष उत्पन्न करने एवं उनमें वृद्धि करने के लिए अन्य त्रिपुरा जनजातीय संगठनों के साथ संबंध स्थापित करना और उन्हें बनाए रखना ।

और यतः केन्द्र सरकार का मत है कि एन0एल0एफ0टी0 और ए0टी0टी0एफ0 की उपरोक्त गतिविधियां भारत की प्रभुसत्ता एवं अखण्डता विरोधी हैं तथा ये विधि विरुद्ध संगम हैं,

अतः अब विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एन0एल0एफ0टी0) और दि ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ए0टी0टी0एफ0) को एक विधि विरुद्ध संगम घोषित करती है ।

और यतः केन्द्र सरकार का यह भी मत है कि यदि इन पर तत्काल नियंत्रण न किया गया तो एन0एल0एफ0टी0 और ए0टी0टी0एफ0 को अवसर मिलेगा कि वे :-

(I) अपने काडर की अलगाववादी, विद्रोही, आतंकवादी/ हिंसक गतिविधियां बढ़ाएंगे,

(II) भारत की प्रभुसत्ता एवं राष्ट्रीय अखण्डता के विरूद्ध शक्तियों के साथ सहभाग करके राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का प्रचार करेंगे,

(III) नागरिकों तथा पुलिस व सुरक्षा बलों के कार्मिकों की हत्याओं में वृद्धि में लिप्त हो जाएंगे,

(IV) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार से और अधिक गैर कानूनी हथियार एवं गोलाबारूद प्राप्त करने तथा जुटाने में लिप्त हो जाएंगे,

(V) गतिविधियों के लिए जनता से बड़ी राशि इकट्ठा करने तथा जबरन धन ऐंठने में लिप्त हो जाएंगे।

और यतः उपरोक्त परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में केन्द्र सरकार की पक्की राय है कि एन0 एल0 एफ0 टी0 और ए0टी0टी0एफ0 को तत्काल प्रभाव से एक विधि विरुद्ध संगम घोषित करना आवश्यक है, और तदनुसार उक्त खण्ड-3 की उपधारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत किए जाने वाले किसी भी अध्यादेश के अध्यधीन, यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

(सुरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

चूंकि अधिसूचना के नियमानुसार, इस अधिसूचना को यह निर्णय करने के उद्देश्य से इस अधिकरण को भेजना होता है कि क्या उक्त संगमों, अर्थात नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स को विधि विरुद्ध संगम घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं अथवा नहीं। इसलिए भारत सरकार ने इस अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत् 19 अक्तूबर, 2001 को एक अधिसूचना जारी की जिसके द्वारा यह निर्णय करने के उद्देश्य से इस अधिकरण का गठन किया गया कि क्या नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स को विधि विरुद्ध संगम घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान हैं अथवा नहीं। उक्त अधिसूचना निम्न प्रकार पठित है :-

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 2002

का0 आ0 1054 (अ) विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स और नेशनल लिब्रेशन फ्रंट आफ त्रिपुरा को विधिविरूद्ध संगम घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं, एतद्द्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एस0 के0 महाजन की अध्यक्षता में एक 'विधिविरूद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिकरण' का गठन करती है।

(सुरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव, (एन0ई0)

उपर्युक्त संगमों को अधिनियम के तहत विधि विरूद्ध संगम घोषित करने का कारण यह था कि ये संगम त्रिपुरा को भारत संघ से अलग किए जाने की मांग कर रहे थे तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये वे लगातार अलगाववादी, विध्वंसक, हिंसक तथा आतंकवादी गतिविधियों में संल्पित थे। अपने अलगाववादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उक्त संगठनों ने पृथक संविधान अंगीकृत कर रखे थे जिनमें सिविलियन ढांचे वाली एक पृथक 'लोकगणतान्त्रिक सरकार' की व्यवस्था की गई थी । उनके पास पृथक सशस्त्र विंग भी था जिसमें नियमित सेना की तर्ज पर स्तरानुसार ढांचे की व्यवस्था थी और जो अत्याधुनिक हथियारों समेत भारी मात्रा में हथियारों से सज्जित था । नेशनल लिब्रेशन फ्रन्ट ऑफ त्रिपुरा तथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फार्स अपने गठन के समय से ही भारी संख्या में विध्वंसात्मक कार्यकलापों के लिए जिम्मेदार रहे हैं, जिनमें पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों पर हमले, शस्त्र एवं गोलाबारूद की लूट, नागरिकों के विरूद्ध हिंसा, अपहरण एवं लूट-खसोट शामिल है। वे लगातार अवैध तरीकों से शस्त्र और गोलाबारूद प्राप्त कर रहे थे। उनकी अलगाववादी गतिविधियां देश की प्रभुसत्ता एवं अखण्डता को खतरा पैदा कर रही थीं, लोकव्यवस्था को बाधित कर रही थीं, राज्य के विकास को निष्फल कर रही थीं और जनता में आतंक पैदा कर रही थीं । वे लोगों से भारी लूट-खसोट कर रहे थे तथा सरकारी कर्मचारियों को भी 'कर नोटिसों' के द्वारा लूटते थे। सरकार के पास यह भी सूचना थी कि विगत 20 वर्षों से त्रिपुरा में धीमी गति से विद्रोह फैल रहा था। हालांकि वास्तविक रूप में लगभग 20 सशस्त्र जनजातीय गुटों की ही पहचान की गई थी, परन्तु उनमें से केवल दो (ए.टी.टी.एफ.तथा एन एल एफ टी) ही ज्यादातर हत्याओं के लिए जिम्मेदार थे तथा उनकी विचारधारा ऐसी थी कि उनके मुख्य कार्यकलाप आर्थिक लाभ के लिए हत्या, लूट-खसोट, अपहरण आदि तक ही सीमित रह गए थे । व्यापक रूप से, घने जंगलों से युक्त तथा जनजातीय आधिपत्य वाला पूरा त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र, स्वायत्त जिला परिषद क्षेत्र जनजातीय उग्रवादियों एवं शरारती तत्वों द्वारा की गई हिंसा की चपेट में था। यह हिंसा अधिकतर गैर जनजातीय लोगों को निशाना बनाकर की गई

थी। टी.टी.ए.ए.डी.सी. क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र, जहां गैर जनजातियों (बंगालियों) का आधिपत्य है, कम प्रभावित थे।

राज्य में 29 पुलिस थानों को पूर्णतः या अंशतः अशान्त घोषित किए जाने के बावजूद एन एल एफ टी तथा ए टी टी एफ दोनों लगातार हिंसा एवं लूट-खसोट में संलिप्त रहे। वस्तुतः, एन एल एफ टी की हिंसा, जो तेजी से बढ़ती रही है, वर्ष 2000 में अधिकतम स्तर पर पहुंच गई थी जिसमें हिंसा की कुल 491 घटनाओं में 216 व्यक्ति मारे गए तथा 484 व्यक्तियो का अपहरण किया गया । एन एल एफ टी की हिंसा में साम्प्रदायिक रूप में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई । ए टी टी एफ की हिंसा जिसमें विगत् वर्षों में कमी की प्रवृत्ति नजर आई थी, में वर्ष 2001 में बढ़ोतरी हुई। ये दोनों संगठन त्रिपुरा से गैर जनजातीय लोगों, विशेषकर बंगालियों को बाहर निकालने की मांग करते रहे हैं। इन संगठनों के हमले मुख्यतः गैर जनजातीय लोगों को प्रत्यक्ष निशाना बनाकर किए जाते हैं जिससे प्रायः थोड़ा सा भड़काने पर भी जनजातीय झगड़े और तनाव उत्पन्न हो जाते हैं । इन उग्रवादी संगठनों के कार्यकलापों के कारण राज्य में अन्दर ही अन्दर जनजातीय बनाम गैर जनजातीय तनाव की लहर चल रही है।

1997 से इन दोनों संगठनों द्वारा की गई हिंसा में वृद्धि हुई है जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:-

वर्ष	**ए टी टी एफ द्वारा मारे गए व्यक्तियों (सुरक्षा बलों/पुलिस कार्मिकों) की संख्या**	**एन एल एफ टी द्वारा मारे गए व्यक्तियों (सुरक्षा बलों/पुलिस कार्मिकों)की संख्या**
1997	95 (-)	116(44)
1998	38 (1)	149(21)
1999	42 (7)	154 (33)
2000	23 (4)	216 (11)
2001	47 (9)	170 (26)

ए टी टी एफ तथा एन एल एफ टी दो मुख्य संगठित आतंकवादी गुट हैं जिनमें से पहला एक पृथक 'जनजातीय भूमि' राज्य की मांग करता रहा है तथा दूसरा अभी भी त्रिपुरा की आजादी की मांग कर रहा है।

1993 के मध्य में स्थापित ए टी टी एफ की अध्यक्षता में लगभग 150 दुर्दान्त सशस्त्र व्यक्ति हैं और इसका नेतृत्व रणजीत देववर्मा के हाथ में है। यह पूरे धलाई जिले, खोवई, कल्याणपुर, लेतिमुरा, जिरानिया,

तथरजला तथा प0 त्रिपुरा जिले के सिधाई थाना क्षेत्रों, कैलाशहर, फटिकराय तथा उत्तरी त्रिपुरा जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्रों और द0 त्रिपुरा जिले के बीरगंज, आर.के.पुर., ताइडू और ओम्पी थाना क्षेत्रों में सक्रिय है ।

1989 में गठित एन एल एफ टी का नेतृत्व विश्व मोहन देववर्मा के हाथ में है और इसके पास लगभग 200 दुर्दान्त सशस्त्र कार्यकर्ता हैं । ऐसा समझा जाता है कि इसका प्रभाव धलाई जिले, प0 त्रिपुरा जिले के कल्याणपुर एवं तकरजला थाना क्षेत्र, उत्तरी त्रिपुरा जिले के कंचनपुर और वाधमान थाना क्षेत्र; और द0 त्रिपुरा जिले के बीरगंज ताइडू, नूतन बाजार, शांतिरबाजार और ओम्पी थाना क्षेत्रों में है। फरवरी, 1997 में 19 थाना क्षेत्रों एवं उसके बाद और अधिक क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र घोषित करने से एन एल एफ टी के कार्यकलापों पर कतई कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके विपरीत इस संगठन ने विभिन्न क्षेत्रों में खुद को सुदृढ़ बनाया है और यह त्रिपुरा के एक बड़े आतंकवादी संगठन के रूप में उभरा है ।

ए टी टी एफ और एन एल एफ टी दोनों के बंगलादेश में प्रशिक्षण शिविर और छिपने के ठिकाने हैं और ये हिंसा की बड़ी वारदातों के बाद शरण लेने के लिए प्रायः बंगलादेश के भू-भाग का प्रयोग करते हैं इनमें से अधिकांश घटनाओं की योजना बंगलादेश में बनायी जाती हैं और ये बंगलादेश की भूमि से ही कार्यान्वित की जाती हैं । उन्होंने भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार प्राप्त कर लिए हैं और बताया जाता है कि ये पूर्वोत्तर के अन्य विद्रोही गुटों से घनिष्ठ सम्पर्क बनाये हुए हैं । हाल की रिपोर्टों से त्रिपुरा में अपने अभियानों में एक और एन एल एफ टी ओर एन एस सी एन (आई/एम) तथा दूसरी ओर ए टी टी एफ और उल्फा के बीच बढ़ते संबंधों का पता चलता है ।

इन जनजातीय उग्रवादियों/सशस्त्र शरारती तत्वों ने पुलिस/सुरक्षा बलों तथा निर्दोष गैर-जनजातीय (विशेष रूप से बंगालियों) पर हमला करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई ताकि उन्हें त्रिपुरा छोड़ने के लिए बाध्य किया जा सके। इन आतंकवादियों के अधिकांश पीड़ित गैर-जनजातीय लोग विशेष रूप से बंगाली है । इससे राज्य में जनजातीय तथा गैर जनजातीय लोगों के बीच काफी मतभेद पैदा हो गया है जिसके परिणामस्वरूप वंश-वाद की स्थिति पैदा हो गई है जिसके कारण छोटी-छोटी बातों पर जातीय झगड़े हो जाते है।

सरकार का यह भी मानना था कि उक्त दोनों संगठनों पर चार वर्ष की अवधि तक प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद जनजातीय विद्रोह त्रिपुरा में गम्भीर चिंता का विषय बना रहा । नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट ऑफ त्रिपुरा तथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स दोनों अवैध कर वसूली करके, जबरन धन ऐंठकर तथा फिरौती के लिए अपहरण करके भारी मात्रा में धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट ऑफ त्रिपुरा तथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के गठन मे विशेष रूप से अपने अंतिम उद्देश्य के रूप में अलग जनजातीय राज्य की माग करने से उनके भारत से त्रिपुरा के अलगाव के इरादे का पता चलता है ।

उक्त दोनों संगठनों पर 1997 में पहली बार प्रतिबंध लगाया गया था। तथापि, प्रतिबंध के बावजूद उक्त संगठन अपनी विद्रोही गतिविधियों को जारी रखे हुए हैं जिससे त्रिपुरा में सुरक्षा की गम्भीर चिंता उत्पन्न हो गई है। अतः सरकार का यह मत था कि इन संगठनों पर प्रतिबंध को 3 अक्टूबर, 2001 से दो और वर्ष की

अवधि तक जारी रखने संबंधी अधिसूचना जारी करना उचित है। अतः इस अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का-प्रयोग करते हुए दिनांक 3 अक्टूबर, 2001 की वर्तमान अधिसूचना जारी की गई जिसमें उक्त दोनों संगठनों अर्थात, नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट ऑफ त्रिपुरा तथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स को तत्काल प्रभाव से विधि विरूद्ध संगम घोषित किया गया तथा यह निर्णय करने के लिए इस अधिकरण को पत्र लिखा गया कि क्या इस अधिनियम के तहत उक्त संगठनों को विधि विरूद्ध संगम घोषित किए जाने का पर्याप्त कारण है या नहीं । प्रतिबंध को और बढ़ाने के संबंध में निर्णय करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित बातों पर विचार किया गया:-

"i) एन एल एफ टी द्वारा भारत से त्रिपुरा के अलगाव तथा ए टी टी एफ द्वारा सैवन सिस्टर्स के पृथक राष्ट्र के गठन की नीति को अपनाए रखना;

ii) भारत की प्रभुसत्ता तथा अखंडता के लिए अहितकर गतिविधियों में शामिल रहना;

iii) अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के साधनों के रूप में सशस्त्र कार्रवाई के माध्यम से हिंसा तथा आतंक को अपनाए रखना;

iv) व्यवसायियों, व्यापारियो तथा यहां तक कि सरकारी कर्मचारियों सहित आम जनता से बड़े स्तर पर जबरन धन ऐंठना तथा अवैध कर वसूली;

v) पूर्वोत्तर के अन्य विद्रोही संगठनों के साथ संबंध तथा उन्हें सहायता प्रदान करना । जबकि एन एल एफ टी ने नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैण्ड [एन एस सीएन (आई/एम)] के इसाक-मुईवाह गुट के साथ संबंध बना लिए है वहीं ए टी टी एफ ने यूनाइटेड लिबरेशन फ्रन्ट ऑफ असम (उल्फा) तथा मणिपुर के मैतई उग्रवादी संगठनों के साथ संबंध विकसित कर लिए हैं ।

vi) पड़ोसी बंगलादेश में अपने शरण स्थलों एवं सुरक्षित आश्रयों को बनाए रखना;

vii) गुप्त तरीकों से तथा विभिन्न सुरक्षा बलों से छीनकर भारी मात्रा में परिष्कृत शस्त्र एवं गोलाबारूद जुटाना।"

इस मामले के प्राप्त होने पर तथा सरकार के प्रतिनिधियों की सुनवाई के बाद तथा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई सामग्री का अवलोकन करने के बाद संतुष्ट होने पर इस अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (2) के तहत नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट ऑफ त्रिपुरा तथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स दोनों को नोटिस जारी किए गए थे। यह निदेश दिया गया कि नोटिस उसी प्रकार से दिए जाएं जिस प्रकार से केन्द्रीय सरकार द्वारा नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स पर प्रतिबंध लगाए जाने संबंधी अधिसूचना जारी गई थी, अर्थात त्रिपुरा में प्रचलित तथा प्रकाशित होने वाले डेली नेशनल एवं स्थानीय समाचार पत्रों तथा रेडियो और दूरदर्शन पर प्रसारण के माध्यम से । यह भी निदेश दिया गया इन नोटिसों को जिला एवं तहसील मुख्यालयों, जो भी संभव हों, पर प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार के कार्यालय पर नोटिस बोर्ड पर चिपकाया जाए। इन नोटिसों को उन स्थानो में प्रचलित किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन के द्वारा भी जारी करने का निदेश दिया गया जहा त्रिपुरा राज्य में या उसके बाहर इन संगठनों की स्थापनाएं थीं या जहां इनकी उपस्थिति की जानकारी था । जब 20 दिसम्बर, 2001 को अधिकरण की दिल्ली मे बैठक हुई तो अधिकरण के ध्यान में यह बात लाई गई

कि 24 नवम्बर, 2001 के "दैनिक संवाद", 23 नवम्बर, 2001 के "देश कथा"; 23 नवम्बर, 2001 के "भावी भारत" और 24 नवम्बर, 2001 के "त्रिपुरा आब्जर्वर" आदि समाचार पत्रों में प्रकाशन के द्वारा इन दोनों संगठनों को उचित रूप से नोटिस जारी किए गए थे । आकशवाणी तथा दूरदर्शन के स्थानीय केन्द्रों के विभिन्न बुलेटिनों के माध्यम से भी इस नोटिस को तामील किए जाने की व्यवस्था की गई थी तथा जिला मजिस्ट्रेट, सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट तथा खंड विकास अधिकारियों के कार्यालय के मुख्य भागों पर इन नोटिसों को चिपकाकर इनका व्यापक प्रचार किया गया था। त्रिपुरा राज्य तथा भारत संघ के विद्वान वकील को सुनने के बाद यह अधिकरण इस बात से संतुष्ट हो गया कि चूंकि इन विभागों के पास प्रतिबंधित संगठनों के कोई ज्ञात पते उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए समाचार पत्रों में प्रकाशन तथा आकशवाणी, दूरदर्शन के माध्यम से तथा चिपकाकर उक्त संगठनों को इन नोटिसों का तामील किया जाना उचित है। चूंकि इन संगठनों की ओर से कोई प्रस्तुत नहीं हुआ, इसलिए इस अधिकरण ने उनकी अनुपस्थिति में इस मामले पर कार्रवाई शुरू की तथा राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों को यह निदेश दिया कि वे उक्त दोनों संगठनों पर प्रतिबंध को उचित ठहराने संबंधी अपने तर्क के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करके शपथ पत्र दायर करें ।

भारत सरकार और त्रिपुरा राज्य सरकार की ओर से विधिवत हलफनामे प्रस्तुत किए गये थे और 4 फरवरी, 2002 को हुई सुनवायी में यह निदेश दिया गया कि न्यायाधिकरण इस मामले पर अगली सुनवायी दिनांक 8 मार्च, 2002 को दिल्ली में दिनांक 16 एवं 18 मार्च,2002 को अगरतला में करेगा। फिर भी दिनांक 8 मार्च, 2002 को दिल्ली में की गयी सुनवायी में अगरतला में सुनवायी के लिए पूर्व निर्धारित तारीखों को बदल दिया गया और निदेश दिया गया कि गवाही को रिकार्ड कर लिया जाए तथा अगरतला में सुनवायी दिनांक 21 व 23 मार्च 2002 को होगी । 22 मार्च, 2002 को न्यायाधिकरण ने अपनी बैठक अगरतला में की तथा श्री के.अम्बुली, संयुक्त सचिव (गृह) त्रिपुरा सरकार, श्री रामफल, अवर सचिव(गृह) भारत सरकार, श्री मनीश कुमार, जिलाधिकारी, पश्चिम त्रिपुरा, श्री अनुराग, पुलिस अधीक्षक, पश्चिम त्रिपुरा, श्री ए. थ, अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण पश्चिम जिला, त्रिपुरा, श्री नन्दलाल दास, पुलिस उपनिरीक्षक, कचूचेड़ा, पुलिस थाना अम्बासा, ढलाई जिला, त्रिपुरा, श्री एम एल मजूमदार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी आई डी त्रिपुरा तथा श्री जितेन्द्र देबवार्मा, उप सम्भागीय पुलिस अधिकारी कैलाशहर उत्तर त्रिपुरा सहित आठ गवाहों के बयान दर्ज किए । श्री के0 अम्बुली, संयुक्त सचिव (गृह) त्रिपुरा सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि एन एल एफ टी और ए टी टी एफ दोनों ने अपने लक्ष्य और उद्देश्य के रूप में भारत संघ से त्रिपुरा के विच्छेदन को समर्थन दिया है और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वे निरन्तर रूप से विच्छेदनकारी, विध्वंसक, हिंसक तथा आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं । एन एल एफ टी और ए टी टी एफ दोनों के संविधानों में त्रिपुरा का भारत संघ से विच्छेदन अपना उद्देश्य बताया गया है। श्री अम्बुली के अनुसार पूर्ववर्ती शाही राज्य त्रिपुरा को, अक्टूबर, 1949 में भारत संघ में शमिल किया गया । विलयन के पश्चात त्रिपुरा भारत का अभिन्न अंग बन गया। श्री अम्बुली के अनुसार ए टी टी एफ और एन एल एफ टी ने अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए एक पृथक संविधान अंगीकार किया जिसमें सिविलियन प्रणाली की साज सज्जा युक्त पृथक जनतान्त्रिक सरकार का प्रावधान है। उन्होंने नियमित

सेना की प्रणाली पर वंश परम्परागत स्वरूप की एक पृथक फौज भी बनाई। वे अत्याधुनिक हथियारों सहित भारी संख्या में हथियारों से लैस हैं।

यह भी अभिकथन किया गया कि अपने गठन के समय से एन एल एफ टी और ए टी टी एफ दोनों भारी संख्या में विध्वंसक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार हैं । उनके क्रियाकलापों में शामिल हैं पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों पर हमला, हथियार एवं गोला बारूद लूटना, आम जनता पर हिंसक अत्याचार करना, अपहरण तथा बलपूर्वक धन उगाही करना । वे अवैध तरीके से भी हथियार और गोलाबारूद प्राप्त करते रहे। त्रिपुरा को भारत संघ से आजाद कराकर स्वतंत्र 'बोरोक्लैण्ड त्विपुरा' की स्थापना के अपने घोषित लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से एन एल एफ टी और ए टी टी एफ दोनों देश की सम्प्रभुता को बाधित करने, लोक व्यवस्था में बाधा डालने, राज्य के विकास को अवरूद्ध करने तथा आम जनता में भय पैदा करने के उद्देश्य से विभिन्न विच्छेदनकारी और विध्वंसक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं।

ए टी टी एफ और एन एल एफ टी दोनों जनता तथा सरकारी कर्मचारियों से 'टैक्स नोटिस' देकर भारी धन उगाही करते हैं। ए टी टी एफ तथा एन एल एफ टी दोनों भारी संख्या में हिंसक और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं एन एल एफ टी और ए टी टी एफ संगठन द्वारा किए गए अपराधों की रिपोर्टों का सारांश निम्नलिखित है:-

<u>एन एल एफ टी द्वारा वर्ष 2000 के दौरान किए गए अपराध</u>

दिनांक 1-1-2000 को सायं लगभग 17.30 बजे, एन एल एफ टी के 14/15 अज्ञात उग्रवादियों ने ताइडू थाना (पी.एस) के अन्तर्गत आने वाले गांव काशी चन्द्र पाड़ी पर हमला किया और रबि देबबर्मा (60) सुपुत्र (स्व0) श्री अनन्त देबवर्मा की हत्या कर दी तथा मृतक के एवं कुछ अन्य घरों में आग लगा दी । उग्रवादियों ने काशी चन्द्र पाड़ा के दस जनजातीय लोगों पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया । (भारतीय दंड संहिता की धारा 148/149/325/302/436 आर्म्स एक्ट की धारा 27 और विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, की धारा 13 के अन्तर्गत ताइडू थाना,में दर्ज वाद सं0 1/2000)

दिनांक 8-1-2000 को अपराह्न 12.30 बजे एन एल एफ टी के (13/14) उग्रवादियों ने आश्रमबाड़ी जा रही एक यात्री जीप (टी आर टी-2327) को खोवाई थाना के पश्चिम कारंगीछेड़ा के पास रोक लिया तथा उसमें आग लगा दी। जब उस जीप के यात्री इधर-उधर दौड़ने लगे तो उग्रवादियों ने उन पर गोलियां चला दीं । परिणामतः (1) नारायण दास (34) सुपुत्र श्री (स्व0) नृपेन्द्रदास (2) माणिक सौतल (38) सुपुत्र (स्व) श्री डुखाल सौतल (3) रामलाल गौड़ (28) सुपुत्र (स्व.) श्री मेघनाथ गौड़ (4) मनोरंजन साबर (30) सुपुत्र (स्व0) श्री तोब्रा साबर और (5) लालूदास (22) (टी आर टी-2327 का चालक) सुपुत्र स्वर्गीय गोसाईं गोविन्द दास नामक 5 यात्री, जो सभी खोवाई पुलिस थाना के गांव आश्रमवाड़ी के थे, मारे गए 6 अन्य यात्री, जो आश्रमबाड़ी गांव के थे, को गम्भीर

चोटें आयीं। उन्हें खोवाई अस्पताल में भर्ती किया गया (खोवाई पुलिस थाना मे भारतीय दंड संहिता की धारा 148/149/302/307/427 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत दर्ज वाद स0 2/2000) दिनांक 12-12-2000 को लगभग 1430 बजे एन एल एफ टी उग्रवादियों के एक दल ने सिलचर जा रही यात्री बस (टी आर एस-1511) को नाटुनबाजार-सिलचरी मार्ग पर आलूटोला, पुलिस थाना, नाटुनबाजार, के पास रोक लिया तथा सबरूम पुलिस थाना के गांव गोरकप्पा के नारायण चौधरी (50) सुपुत्र (स्व0) विपिन चौधरी को गोलियों से भून दिया। उग्रवादियों ने बीरगंज पुलिस थाना के गांव मैलक निवासी श्री रणजीत सिल (45) सुपुत्र स्व0 श्री गोविन्द सिल नामक व एक यात्री का अपहरण कर लिया । गोलाबारी में सबरूम पुलिस थाना के गोरकप्पा की श्रीमती भारती करमाकर को चोटें आयीं । उग्रवादियों ने उक्त श्रीमती करमाकर से गहने, नकदी आदि छीन लिए । (नाटुनबाजार पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 396/364 (क) और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत दर्ज मामला सं0 1/2000)

दिनांक 12.2.2000 को करीब 1830 बजे 7/8 एन एल एफ टी उग्रवादियों ने दक्षिण मेचुरिया, थाना सलेम के सचिन्द्र नामशूद्र के घर पर छापा मारा और 4 व्यक्तियों अर्थात (1) देवेन्द्र नामशूद्र, पुत्र दिनेश नामशूद्र (2) तपन नामशूद्र पुत्र गिरीन्द्र नामशूद्र (3) मनमोहन नामशूद्र पुत्र गिरीन्द्र नामशूद्र (4) प्रहलाद नामशूद्र पुत्र राजेन्द्र नामशूद्र का अपहरण कर लिया। ये सभी 4 व्यक्ति दक्षिण मेचुरिया, थाना सलेम के हैं। (सलेम थाने में मामला सं0 7/2000 शस्त्र अधिनियम की धारा 27 और भारतीय दंड संहिता की उपधारा 364 (ए) के अधीन दर्ज किया) ।

दिनांक 18.2.2000 को करीब 1010 बजे 7/8 उग्रवादियों ने गौड़नगर चाय सम्पदा के प्रबंधक धीरेन्द्र कुमार नाथ, सुपुत्र स्व0 जयगोविन्द नाथ, जोरहाट, भोरहाट, पुलिस स्टेशन, असम को मार दिया और दो अन्य लोगों अर्थात् (1) श्रीमती बिन्दु रानी नाथ पत्नी स्व0 धीरेन्द्र कुमार नाथ और (2) श्री लाल मोहन कबीर फंटी सुपुत्र राज कुमार फंटी, ड्राइवर, चाय संपदा, गौड़नगर को घायल कर दिया । यह घटना तब घटी जब ये लोग चाय संपदा में अपनी ड्यूटी कर रहे थे (आई पी सी की धारा 365/302/325 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत धर्मनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज मामला सं0 13/2000)।

5.5.2000 को लगभग 2200 बजे एन एल एफ टी के उग्रवादियों के एक दल (7/8) ने बाइखोड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत, ईस्ट चरकवई के मजूमदार गोपाल के घर पर छापा मारा और गोलियां चलाईं जिससे नेपाल मजूमदार, गोपाल मजूमदार का भाई घायल हो गया जिसे महुरीपुर पी एच सी में दाखिल कराया गया । उग्रवादियों ने रणजीत मजूमदार श्रीमती सरस्वती मजूमदार और श्रीमती सेफाली नामा का भी अपहरण किया । ये सभी बाईखोड़ा पुलिस स्टेशन, ईस्ट चरकवई के निवासी हैं (आई पी सी की धारा 148/149/326/364 (क) और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत बाईखोड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज मामला सं0 32/2000)।

3.9.2000 को लगभग 1900 बजे एन एल एफ टी के उग्रवादियों के एक दल (10/12) ने फटिकरॉय पुलिस स्टेशन, राधानगर के दुर्गा देबनाथ के घर पर छापा मारा और उन्हें घायल कर दिया। उन्हें आर0जी0एम0 अस्पताल, कैलाशहर में स्थानांतरित किया गया। उग्रवादियों के एक दल ने प्रसन्ना देबनाथ के घर पर भी छापा मारा और बन्दूक की नोक पर उनकी अवयस्क पुत्री रूपाली देबनाथ का अपहरण किया । (आई पी सी की धारा 364 (क)/326/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत फटिकरॉय पुलिस स्टेशन में दर्ज मामला सं0 77/2000)।

18.10.2000 को लगभग 2000 बजे एन एल एफ टी के दो उग्रवादियों ने सचिन्द्रनगर कालोनी (पंप हाउस) कल्याण पुर पुलिस स्टेशन के सरूज देबराम उर्फ पठान (ए टी टी एफ से वापस आया व्यक्ति) को मार दिया और मृतक की पत्नी श्रीमती निरूबाला देबराम को भी परेशान किया (आई पी सी की धारा 302/325/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत कल्याणपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज मामला सं0 96/2000)।

14.10.2000 को विक्रमजीत त्रिपुरा की अगुवाई में एन एल एफ टी के उग्रवादियों के एक दल ने मनु पुलिस स्टेशन के कार्तिकचेरा के पिजूश नामक व्यक्ति का अपहरण कर लिया । 13.9.2000 को लगभग 1900 बजे एन एल एफ टी के उक्त दल ने (1) श्रीमती सुनीता मजूमदार और (2) सुश्री अर्चना मजूमदार का मनु पुलिस स्टेशन, वेस्ट मसली से अपहरण कर लिया । 10.10.2000 को मामला दर्ज किया गया था (आई पी सी की धारा सं0 448/364 (क)/34 के तहत मनु पुलिस स्टेशन में दर्ज मामला सं0 58/2000)।

<u>वर्ष 2000 के दौरान ए0टी0टी0एफ0 द्वारा किए गए अपराध</u>

16.2.2000 को लगभग 0930 बजे ए टी टी एफ के 15/16 उग्रवादियों ने नूतनबाजार पुलिस स्टेशन, चेलागंगमुख में जतनबाड़ी से अमरपुर जा रही बस के यात्रियों पर आधुनिक हथियारों से गोलियां बरसाईं (बस सं0 टी आर एस-1508)। इसके परिणामस्वरूप इन 8 व्यक्तियों को गोलियां लगीं (1) श्रीमती गीता रानी सरकार (42) पत्नी श्री जनार्दन सरकार, जतनबाड़ी (2) जनार्दन सरकार (50) सुपुत्र उपेन्द्र सरकार, जतनबाड़ी, (3) बादल पॉल सुपुत्र योगेश पॉल, जतनबाड़ी (4) दुलाल अचरजी सुपुत्र प्रफुल्ल अचरजी, चन्द्रपुर, (5) द्वाइपयान अचरजी, सुपुत्र जी वीरेन्द्र दास, जतनबाड़ी, (7) श्यामसुन्दर देबनाथ सुपुत्र मदन मोहन देबनाथ, नूतनबाजार (8) श्रीमती प्रणति अचरजी, पत्नी दुलाल अचरजी, चन्द्रपुर, ईस्ट अगरतला पुलिस स्टेशन। ए टी टी एफ ने इन तीन लोगों का भी अपहरण किया (1) एस0 के0 दास, आसूचना अधिकारी, एस आई बी, अम्बासा में तैनात (2) स्वरजीत डे, सुपुत्र निखिल चन्द्र डे, जतनबाड़ी (3) उक्त बस का एक अन्य अज्ञात यात्री। (आई पी सी की धारा 148/149/326/364 (क) और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत नूतनबाजार पुलिस स्टेशन में दर्ज मामला सं0 9/2000)।

25.3.2000 को लगभग 0945 बजे बीर गंज पुलिस स्टेशन के अंतर्गत तापसपाड़ा में 11 बटालियन सी आर पी एफ और ए टी टी एफ के उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई । यह मुठभेड़ लगभग 30 मिनट तक चली। नूतनबाजार से 9 बटालियन सी आर पी एफ भी तापसपाड़ा की ओर आ गई और इसने भी गोलीबारी की । यह बटालियन रबराइबाड़ी में विशेष अभियान पर थी । मुठभेड़ के बाद सी आर पी एफ के कर्मचारियों को एक अज्ञात उग्रवादी का शव मिला, 20 जीवित गोलियों के साथ ए के 56 राइफल मिली, 3 मैग्जीन, ए के शृंखला की एक खाली गोली, एक खुकरी, हरे रंग का एक बैग, ए टी टी एफ के कुछ कागज मिले (आई पी सी की धारा 148/149/353/307 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27/25 (1-ख) (क) के तहत बीरगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज मामला सं0 22/2000)।

5.3.2000 को लगभग 1230 बजे जगबंधु देबराम उर्फ निर्मल, सुपुत्र हेमनता देबराम और सिधेल पुलिस स्टेशन, कटचेरा के ए टी टी एफ के 7/8 अन्य सहयोगियों ने श्री रतीश दास, सुपुत्र क्षितिश च0 दास और सिधई पुलिस स्टेशन, सतचरी के अन्य लोगों पर हमला किया । इसके परिणामस्वरूप श्रीमती साबित्री दास (28), पत्नी पीजूश दास (2) झूटन घोष (6) सुपुत्र शक्ति पाडा घोष और (3) पिंकी दास (9) सुपुत्री भानुआलाल दास, सभी सिधई पुलिस स्टेशन, सतचरी के निवासी हैं और इन्हें गोलियां लगीं । घायल श्रीमती साबित्री दास और झूटन घोष को जी0 बी0 अस्पताल, अगरतला में स्थानांतरित किया गया था (आई पी सी की धारा 326/307/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत सिधई पुलिस स्टेशन में दर्ज मामला सं0 13/2000)।

30.4.2000 को लगभग 1900 बजे ए टी टी एफ के अज्ञात सशस्त्र उग्रवादियों ने कुतुम पाडा जमातिया, डुलुमा चंदुक चेरा, बीरगंज पुलिस स्टेशन के अंतर्गत तापस पाड़ा में अपहरण कर लिया जब वे चाय पीने के बाद डुलुमा से अपने घर जा रहे थे। बाद में कुतुम पाडा जमातिया का शव तापसपाड़ा में पाया गया । उग्रवादियों ने निम्नलिखित लोगों की भी हत्याएं कीं -

(1) आनंद चरण जमातिया (2) शिवदयाल जमातिया (3) योगन्ता मोहन जमातिया (4) विचित्र कुमार जमातिया (5) विश्वनाथ जमातिया । दिनांक 2.5.2000 को बीरगंज पुलिस स्टेशन में भा0दं0सं0 की धारा 364/302/34 के तहत मामला सं0 31/2000 दर्ज किया गया ।

7.5.2000 को लगभग 2000 बजे ए.टी.टी.एफ. उग्रवादियों के एक दल ने तुलकराई बाड़ी, पु0 स्टे0 खोवाई के प्रीति कुमार देब्बारमा पर संकरीबाड़ी, पु0 स्टे0 खोवाई में गोली चलाई जब वह बैजलबाड़ी बाजार से अपने घर लौट रहे थे। उपरोक्त घटना के फलस्वरूप प्रीति कु0 देब्बारमा को गम्भीर चोट आई और उन्हें जी.बी. हॉस्पीटल, अगरतला में स्थानान्तरित कर दिया गया। (भा0 द0 संहिता की धारा 326/307 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत खोवाई पु0 स्टे0 में दर्ज मामला सं0 45/2000)

11.6.2000 को लगभग 1300 बजे ए.टी.टी.एफ. उग्रवादियों के एक दल (5/6) ने डोंगोरबाड़ी के राकेश देब्बारमा और मेलकाबाड़ी के निहार देब्बारमा का निहार देब्बारमा के घर से

अपहरण कर लिया, ये दोनों स्थान कल्याणपुर पु0 स्टे0 के अन्तर्गत हैं। कावाबास्सा, पु0 स्टे0 खोवाई ले जाने के पश्चात दोनों को गोली तथा तेज हथियारों से मार दिया गया । (भा0 द0 संहिता की धारा 364/302/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत कल्याणपुर पु0 स्टे0 में दर्ज मामला सं0 66/2000) ।

31.1.2000 को लगभग 0930 बजे ए.टी.टी.एफ. उग्रवादियों के एक दल ने अमरपुर-नूतनबाजार रोड, पु0 स्टे0 बीरगंज पर पहाडपुर में दो ट्रकों (टी.आर.एल-2760 और टी.आर.एल-2077) को रोका और (1) मनु मियाह (45), ड्राइवर, पुत्र ताबजल मियाह (2) बिलाल मियाह, असिस्टैंट पुत्र आहिद मियाह (3) माखन दास (मजदूर), सभी राजधार नगर के निवासी हैं, (4) मालू मियाह (32) ड्राइवर, टी.आर. एल-2077,रजारबाग (5) बाबुल दास, असिस्टैंट- टी आर.एल-2077, महारानी (6) गणेश पॉल (मजदूर) महारानी और (7) एक अन्य मजदूर (नाम नहीं पता) का अपहरण कर लिया (भा.द.संहि0 की धारा 148/149/364 (क) के अन्तर्गत बीरगंज पु0स्टे0में दर्ज मामला सं0 9/2000)

27.9.2000 को लगभग 2030 बजे ए.टी.टी.एफ के उग्रवादी दल (4/5) ने सान्तीपाड़ा, पु0स्टे0 रेशयाबाड़ी में शान्ति जमातिया के घर पर हमला किया और उसे गोली मार दी (भा.द.संहि0 की धारा 302/448/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत रैशयाबाड़ी पु0 स्टे0 में दर्ज मामला सं0 11/2000) ।

18.9.2000 को लगभग 1430 बजे ए.टी.टी.एफ. के उग्रवादियों के एक दल ने विश्व कुमार पाडा, पु0 स्टे0 कल्याणपुर के हरेन्द्र देब्बारमा की उत्तर महारानीपुर बाजार, पु0 स्टे0 कल्याणपुर में गोली मारकर हत्या कर दी (भा0 द0 संहि की धारा 302/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत कल्याणपुर पु0 स्टे0 में दर्ज मामला सं0 89/2000)

वर्ष 2001 के दौरान ए.टी.टी.एफ द्वारा किए गए अपराध

27.9.2001 को लगभग 0515 बजे के.रि.पु.बल की सी/32 बटा0 की ऑपरेशन पार्टी और ए.टी.टी.एफ के सशस्त्र उग्रवादियों के बीच जीरानिया पु0 स्टे0 के तहत हरीशचन्द्र पाड़ा में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात, के.रि.पु.बल के कर्मचारियों को 3 हैवरसैक्स, 26, 7.62 लाइव एम्यूनिशन, 3 ए.के.-47 एम्यूनिशन इत्यादि बरामद हुए। के.रि.पु.बल के कर्मचारियों ने बुराखा, पु0स्टे0 जीरानिया के शंकर देब्बारमा पुत्र सुभाष देब्बारमा को भी पकड़ा। (भा.द.संहि0 की धारा 148/149/353/307 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत जिरानिया पु0 स्टे0 में दर्ज मामला सं0 90/2001)

29.7.2001 को लगभग 0630 बजे खोवाई पु0 स्टे0 के अन्तर्गत नक्षत्रबाड़ी (खोवाई पु0 स्टे0 से लगभग 24 कि0 मी0 दूर) में के.रि.पु.बल की 118 बटा0 और ए.टी.टी.एफ के उग्रवादियों के बीच एक मुठभेड़ हुई। जिसके परिणामस्वरूप नक्षत्रबाड़ी के बिशू मुंडा (22) पुत्र श्री गाजा मुंडा नामक एक ए.टी.टी.एफ.उग्रवादी की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । ऑपरेशन पार्टी को घटनास्थल से एक

देसी बन्दूक और 3 खाली कारतूस बरामद हुए (भा0 दं0 संहिता की धारा 148/149/307 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत खोवाई पु0 स्टे0 मामला सं0 28/2001)

20.5.2001 को लगभग 0051 बजे, जीरनिया पु0 स्टे0 के अन्तर्गत मोहन कोबरा और उसके समीप के क्षेत्रों में ए.टी.टी.एफ के एक उग्रवादी ग्रुप की सक्रियता के बारे में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए के.रि.पु.बल/विशेष कार्य बल, त्रिपुरा राज्य राइफल्स और जिला पुलिस के सहयोग से एक विशेष ऑपरेशन दल गठित किया गया । जब के.रि.पु.बल दल 0500 बजे ठिकानों की ओर बढ़ रहा था तभी उग्रवादी दल ने गोली चलानी शुरू कर दी । के.रि.पु.बल ने भी बदले में गोलीबारी की । इस आपसी गोलीबारी के दौरान एक अज्ञात उग्रवादी घटनास्थल पर ही मारा गया।

ऑपरेशन पार्टी के अनुरोध पर एस.डी.पी ओ जीरानिया द्वारा कार्मिक भेजे गए। सुबह उग्रवादियों के साथ गोलाबारी हुई और उग्रवादी दल को घागरा पाड़ा पार करने से रोका गया । जब प्रवर्त्तन दल उग्रवादियों की ओर बढ़ रहा था तभी उग्रवादियों ने छोटे शस्त्रों से अन्धाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और बाद में एच.ई.ग्रेनेड फैंके। मुठभेड़ में, मनोरंजन देब्बारमा, सब-डिवीजनल पुलिस ऑफीसर (एस.डी.पी.ओ) जीरानिया, और हैड कांस्टेबल सुदीप साहा को गोली लगी। एस.डी.पी.ओ, जीरानिया की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और सुदीप साहा को जी.बी. हॉस्पीटल, अगरतला भेज दिया गया। इसी बीच, के.रि.पु.बल की 55 बटालियन के सी.ओ. के नेतृत्व में के.रि.पु.बल का एक दस्ता घटनास्थल पर पहुंचा। मुठभेड़ के दौरान एक अज्ञात उग्रवादी पकड़ा गया और उसके कब्जे से एक ए.के.-56 राइफल मैगजीन सहित ए.के राइफल के 6 जीवित कारतूस, ए.के.राइफल के 5 खाली कारतूस और एक चीनी ग्रेनेड बरामद हुआ (भा.द.संहिता की धारा 148/149/353/307/326/302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 (1-क)/27 के तहत जीरानिया पु0स्टे0 में दर्ज मामला सं0 57/2001)

9.4.2001 को लगभग 1800 बजे जब ओ.एन.जी.सी का एक सर्वेक्षण दल के.औ.सु.बल के संरक्षण में सनिताला (तामकारी) क्षेत्र से वापस लौट रहा था तो ए.टी.टी.एफ के एक सशस्त्र उग्रवादी दल ने सनिताला और बरकताल के बीच में सड़क पर उनपर हमला किया। इसके फलस्वरूप के.औ.सु.बल के 2 कार्मिकों को गोली लगी और उन्हें जी.बी. अस्पताल, अगरतला भेजा गया। मुठभेड़ के दौरान, रामसाधुपाड़ा स्कूल के कोकबारक अध्यापक रणजीत देब्बारमा नामक एक मोटरसाइकिल वाहक को भी गोली लगी जिसने बाद में जी.बी.अस्पताल, अगरतला में दम तोड़ दिया (भा.द.संहि की धारा 148/149/326/302/307 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत सिधाई पु.स्टे.में दर्ज मामला सं0 27/2001)

20.4.2001 को 1600 बजे और 1615 बजे के बीच टी.एस.आर की तीसरी बटा0 की एक कम्पनी और ए.टी.टी.एफ के उग्रवादियों के बीच काइन किशोर पाड़ा और भुईयांचेरा, पु0स्टे0रेशयाबाड़ी क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई।

7.4.2001 को लगभग 15-00 बजे ए टी टी एफ के आंतकवादियों ने गांव चंद्रदास (कमला आश्रम) पर हमला किया और कृति भूषण चकमा, सुमति रानी चकमा, बेनूलाल चकमा और टुंगिया चकमा, जो सभी कमला आश्रम, पुलिस थाना रैशयाबाड़ी के निवासी थे , के घर को आग लगा दी । इसके फलस्वरूप उनका घर ढह गया । एक बुद्ध मंदिर, जो कृति भूषण चकमा के घर के निकट था, भी ढह गया (भारतीय दंड संहिता की धारा 436/34 के तहत रैशयाबाड़ी पुलिस थाने मामला में मामला सं0 02/2001)

28.4.2001 को लगभग 2000 बजे ए टी टी एफ के आतंकवादियों के एक दल ने बीरचंद्र पारा, पुलिस थाना कल्याणपुर के निकट एक जीप पर हमला किया और सोनाचारी, पुलिस थाना कल्याणपुर के ड्राइवर गोपालदेबबर्मा तथा सुमंतपुर, पुलिस थाना चंपाहावर के कुलेन्द्र देबबर्मा की हत्या कर दी । (भा0द0सं0 की धारा 148/149/302/307 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत कल्याणपुर पुलिस थाना मामला में मामला सं0 14/2001)

28.2.2001 को, लगभग 0535 बजे ए टी टी एफ के आतंकवादियों के एक इल (20 /25) ने खेनगराई, पुलिस थाना जिरानिया के बिशुराय देबबर्मा के घर पर हमला किया और उनके पुत्र का अपहरण कर लिया और उसे घसीटते हुए दशापारा तक ले गए और उसे काट-काट कर उसकी हत्या कर दी (भा0दं0सं0 की धारा 448/364/302/34 के तहत पुलिस थाने में मामला सं0 028/2001)

27.5.001 को, लगभग 0825 बजे तिनगड़िया रेल पटरी से तीन अज्ञात नवयुवकों के शव बरामद हुए जिन पर गोलियों के निशान थे । उन्हें ए टी टी एफ आतंकवादियों द्वारा इस शक के कारण मार दिया गया था कि वे एन एल एफ टी आतंकवादियों के सहयोगी अथवा सदस्य थे । (भा0दं0सं0 की धारा 302 तथा सशस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत तेलियामुरा पुलिस थाने में मामला सं0 37/2001)

26.4.2001 को लगभग 1015 बजे विधान सभा सदस्य श्री प्रणब देबबर्मा तथा विपक्षी, त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (टीटी ए ए डी सी) के विपक्षी नेता श्री गधा चरण के अंगरक्षक दल पर संदिग्ध ए टी टी एफ आतकवादियों द्वारा कैन्टोकोबरा, पुलिस थाना जिरानिया में छिपकर हमला किया गया इसके फलस्वरूप जिरानिया पुलिस थाना के ए0एस0आई0 नारायण देबनाथ (2) हेड कांस्टेबल बादल भौमिक (3) सी/670 राजीब देवराय (4) सी/227 सुरेन्द्र देबबर्मा (5) सी/69 राजेन्द्र देबबर्मा (6) डी/सी बिमल देब तथा (7) सी/2070 संध्यागम देबबर्मा की मौके पर ही मृत्यु हो गई । पहली बटालियन टी0एस0आर0 के राईफलमैन साधन सरकार तथा चंपामुरा, पुलिस थाना जिरानिया के खोकन दास (चालक) की जी0बी0 अस्पताल, अगरतला में मृत्यु हो गई । इनके अलावा तीन अन्य राईफलमैनों को गंभीर चोटें आई । आतंकवादियों ने उनसे 2 एसएलआर, एक .303 राईफल तथा एक स्टेनगन भी छीन ली। (भा0दं0सं0 की धारा 396/307/326 तथा सशस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत जिरानिया पुलिस थाने में मामला सं0 48/2001)

वर्ष 2001 के दोरान एन0एल0एफ टी द्वारा किए गए अपराध

3.2.2001 को लगभग 1000 बजे जैंगबाड़ी, पुलिस थाना किल्ला क्षेत्र में एन एल एफ टी आतंक वादियों तथा किल्ला पुलिस थाना के विशेष ऑपरेशन दल के बीच एक भिड़ंत हुई ।

भिड़ंत के बाद, पुलिस ने 23/24 वर्ष के एक नवयुवक का शव, एक भरी हुई कारबाइन, 126 सजीव राउंड्स भरी हुई 3 मैगजीन, एक पॉकेट डायरी, 4 कैसेटें तथा 2,730/-रु. नकद बरामद किए (भा0दं0सं0 की धारा 148/149/364(क)/307 तथा सशस्त्र अधिनियम 25(1-बी) (क)/27 के तहत किल्ला पुलिस थाना में मामला सं0 1/2001)

21.7.2001 को 0330 और 0345 बजे के बीच एन एल एफ टी आतंकवादियों के एक दल ने (15/16) रामदुला पारा पुलिस थाना पेचारतल (पुलिस थाने से लगभग 20 किमी) के स्वर्गीय सांबाराय रियांग के पुत्र रतनजॉय रियांग(2) हायपैया रियांग के सुपुत्र पद्मजॉय रियांग (65) (3) स्वर्गीय सुकमणि रियांग के पुत्र रबीन्द्र रियांग (28) के घर पर हमला किया और जबर्दस्ती उन्हें उनके घरों से दूर ले गए और उन्हें पीटने लगे जिससे उन्हें काफी चोटें आई । ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि उन्होंने रामदुला पाश गांव के लिए पेचारथल ब्लाक से लिए गए कार्य के प्रतिशत के रूप में पैसे का भुगतान नहीं किया था। बाद में, आतंकवादियों ने उक्त रतनजॉय रियांग को गोली मार दी । (भारतीय दंड संहिता की धारा 148/149/325/302/307 तथा सशस्त्र अधिनियम की धारा 27 और विधिविरूद्ध क्रिया कलाप (निवारण अधिनियम 1967 की धारा 10/13 के अंतर्गत पी टी एल पुलिस थाने में मामला सं0 32/2001)

30.7.2001 को लगभग 1900 बजे सशस्त्र एन एल एफ टी आतंकवादियों के एक दल (20/25) ने जिसका नेतृत्व मंगलदेबबर्मा कर रहा था भूवन दास पास वितार मैनामा, पुलिस थाना मनु (मनु पुलिस थाना से लगभग 12 कि.मी.) के रबी चरण देबबर्मा के पुत्र अश्वनी देबबर्मा के घर पर हमला किया और घर में मौजूद लोगों पर लाठी आदि चलाई । वे उक्त अश्विनी देबबर्मा को उसके घर से गांव की सड़क तक ले गए और उसे नुकीले हथियारों से मार डाला ।

मृतक अश्वनी देबबर्मा सीपीआई (एम), एलटी वी उप-प्रभागीय समिति के सदस्य थे । हमले के कारण अश्विनी देबबर्मा के भाई बिनय देबबर्मा (65) को चोटें आई (भा0दं0संहिता की धारा 448/325/302/34 तथा सशस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत मनु पुलिस थाने में मामला सं0 23/2001)

30/31.7.2001 को रात को लगभग 0030 बजे, एन एल एफ टी आतंकवादियों के एक दल (20/25) ने जिसका नेतृत्व मंगल देबबर्मा उर्फ माइफुंग ने मनु पुलिस थाना के तहत विद्याजॉय पारा, लालचेरा के घर पर हमला किया और सॉट लालचेरा पुलिस थाना मनु के स्वर्गीय पैद्या चकमा के पुत्र खलेन्द्र चकमा (60) को बंदूक के दम पर उनके घर से ले गए । गैंग बिद्याजॉय पारा के स्वर्गीय गृहण चौधरी रियांग के पुत्र विद्याजॉय रियांग को भी उनके घर से ले जाया गया । 31.7.2001 को सुबह दोनों व्यक्तियों के शव एक झाड़ी में मिले जिस पर नुकीले हथियारों से काटने के घाव थे । मृतक बिद्याजॉय रियांग जी एम पी राज्य समिति के सदस्य थे और खलेन्द्र चकमा सी पी आई (एम), एल टी वी के प्रभागीय

समिति के सदस्य थे। (भा0दं0स0 की धारा 302/434 तथा सशस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत मनु पुलिस थाने में मामला सं0 24/2001)

3.8.2001 को लगभग 1930 बजे एक अज्ञात व्यक्ति ने गचीरामपारा, पुलिस थाना कंचनपुर के गचीराम रियांग के पीड़ित पुत्र सरबजॉय रियांग को बुलाया । जब वह वहां गया तो 15/20 सशत्र आतंकवादियों ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा । रास्ते में उसे आतंकवादियों ने मार दिया (भा0दं0सं0 की धारा 448/365/302/34 तथा सशस्त्र अधिनियम की धारा 27, विधिविरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10/13 के अंतर्गत कंचनपुर पुलिस थाने में मामला सं0 33/2001)

8.8.2001 को लगभग 1000 बजे अरूण देबराम, कृष्ण चरण पाड़ा, तकरजला पुलिस स्टेशन ने महेन्द्र देबराम सुपुत्र स्व0 मनिन्द्र देबराम, मुराबरी, हरिया कोबरा पाड़ा, तकरजला पुलिस स्टेशन के स्कूटर को जम्पइजला-तकरजला सड़क पर रोका । उसने उदई देबराम (45) अध्यक्ष, ब्लाक सलाहाकर समिति, जम्पइजला ब्लाक को एक पत्र दिया । पत्र देखने के पश्चात उक्त उदई देबराम उत्तर दिशा की ओर चला गया । लेकिन उदई देबराम वापस नहीं लौटा । इसके पश्चात उदई देबराम का मृतक शरीर निमइबारी (तकरजला पुलिस स्टेशन से 4 कि0मी0 उत्तर-पूर्व) में लगभग 1245 बजे पाया गया । उसके शरीर पर बंदूक की गोली से हुए घाव के निशान थे । एनएलएफटी के सशस्त्र अलगाववादियों के एक दल ने यह अपराध किया था । (भा.दं.सं. की धारा 302/34 के अधीन तकरजला पुलिस स्टेशन में मामला सं. 18/2001

18.8.2001 को लगभग 2000 बजे एनएलएफटी के अलगाववादियों के एक दल (7/8) ने जगदीश देबराम, सीपीआई (एम), ग्राम अध्यक्ष सुपुत्र स्व0 चन्द्र मोहन देबराम, केन्द्रईचेरा, तकरजला पुलिस स्टेशन में स्थित उनके घर में घुसपैठ की और उन्हें जबरन घर से दूर ले गए । जब जगदीश देबराम की पत्नी श्रीमती संध्या देबराम (37) और उनकी पुत्री निनिती देबराम (16) ने उनका विरोध करने की कोशिश की तो अलगाववादियों ने उन पर हमला किया जिससे वे घायल हो गए । अलगाववादियों ने उक्त जगदीश देबराम की हत्या कर दी । (केन्द्रईचेरा के निकट उनके घर से लगभग 2 कि0मी0 दक्षिण) । (भा.दं.सं. की धारा 448/325/302/34 और शस्त्र अधिनिमय की धारा 27 के तहत तकरजला थाने में मामला संख्या 20/2001) ।

21.8.2001 को लगभग 1925 बजे एनएलएफटी के सशस्त्र अलगाववादियों के एक दल ने (5/6) पुरनेंदु देब, अध्यक्ष, ईस्ट मसली जी.पी (सीपीआई (एम) समर्थक) सुपुत्र स्व0 परेश देब, ईस्ट मसली पुलिस स्टेशन,मनु के घर में घुसपैठ की और अंधाधुंध गोलियां चलाई । इसके फलस्वरूप पुरनेंदु देब की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी श्रीमती कनिका देव (25)और सत्येन्द्र देव, सुपुत्र श्री मनिन्द्र देब, ईस्ट मसली गोली लगने से घायल हो गए । दोनों ही घायलों को मनुघाट पीएचसी में ले जाया गया । (भा.दं.सं. की धारा संख्या 448/326/302/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा संख्या 27 के तहत मनु पुलिस स्टेशन में केस संख्या 26/2001) ।

31.8.2001 को लगभग 0930 बजे शंकर देबराम के नेतृत्व में आधुनिक [illegible] से लैस एनएलएफटी के अलगाववादियों के एक दल ((40/45) ने सुखु देबराम, सुपुत्र स्व0 कृष्ण [illegible] देबराम,

राधा चरण ठाकुर पाड़ा, पुलिस स्टेशन जिरानिया स्थित उनके घर में घुसपैठ की और उनके घर पर भोजन किया। भोजन करने के पश्चात् अलगाववादियों का वह गैंग सुकु देबराम और उनके दो चचेरे भाइयों (1) सनई देबराम सुपुत्र श्री संध्या राम देबराम और (2) बिशु देबराम को काशी दास पाड़ा तक ले गए और आधुनिक हथियारों से उन पर गोलियां चलाईं इसके परिणामस्वरूप सुकु देबराम और सनई देबराम की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गयी और बिशु देबराम गंभीर रूप से घायल हो गए । अस्पताल ले जाते समय घायल बिशु देबराम की मृत्यु हो गई । (भा.दं.सं. की धारा संख्या 148/149/302/326 और शस्त्र अधिनियम की धारा संख्या 27 तथा गैर कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 13 के तहत जिरानिया पुलिस स्टेशन में मामला संख्या 82/2001) ।

2.9.2001 की रात को लगभग 2130 बजे आधुनिक हथियारों से लैस एनएलएफटी के अलगाववादियों के एक दल (7/8) ने किरान्नया उर्फ हिरेन्द्र जमातिया (72) सुपुत्र श्री चन्द्र मोहन जमातिया, नोवाबाड़ी किल्ला पुलिस स्टेशन स्थित उनके घर में घुसपैठ की और अंधाधुंध गोलियां चलाईं । इसके परिणामस्वरूप हिरन्नया जमातिया और उनकी पत्नी ओलिबाला जमातिया (68) की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई । वापस जाते समय अलगाववादियों ने स्वर्ण भक्त उर्फ कालू जमातिया (32) सुपुत्र आनंद मोहन जमातिया, नित्यबाजार, किल्ला पुलिस स्टेशन के ज्वाईंनिग बाड़ी क्षेत्र में हत्या कर दी । मृतक हिरन्नया जमातिया सीपीआई (एम) किल्ला एल/सी के सचिव थे और मृतक स्वर्ण भक्त जमातिया ने अलगाववादियों (एनएलएफटी) के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया (भा.दं.सं. की धारा 148/149/457/302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत किल्ला पुलिस स्टेशन में मामला संख्या 07/2001) ।

13.01.2002 को लगभग 1800 बजे आधुनिक हथियारों से लैस आदिवासियों के अलगाववादियों का एक दल सिंघिचेरा नं. 2 चौमुहानी खोवई पुलिस स्टेशन से लगभग 7 कि0मी0 पूर्व में दिखाई दिया । उस समय "संक्रान्ति" के अवसर पर वस्तुओं की ब्रिकी /खरीद के लिए नं. 2 चौमुहानी के निकट दुकानों में ग्रामीण लोगों की काफी भीड़ थी । अलगाववादियों ने सिंघिचेरा नं. 2 चौमुहानी में आने पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दीं और इस गोली बारी के परिणामस्वरूप 16 व्यक्ति मारे गए और 13 घायल हो गए (खोवई पुलिस स्टेशन में 13.1.2002 को दर्ज मामला सं. 01.2002) ।

वर्ष 2000 और 2001 के दौरान त्रिपुरा में एटीटीएफ तथा एनएलएफटी द्वारा की गई वारदातों की लगभग संख्या नीचे दी गई है :-

की गई वारदातों की संख्या				अपहरणों की संख्या			अपहृत व्यक्तियों की संख्या			मारे गए व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2000	301	28	329	227	22	249	488	38	526	121
2001	137	26	163	46	10	56	113	21	134	97
कुल	438	54	492	273	32	305	601	59	660	218

श्री रामफल, अवर सचिव, भारत सरकार ने अपने हलफनामें में दोनों संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य को व्यापक रूप से रेखांकित किया है । उन्होंने यह भी बताया कि एटीटीएफ और एनएलएफटी, दोनों के ही बंग्लादेश में प्रशिक्षण शिविर और छिपने के स्थान हैं तथा हिंसा की बडी वारदातें करने के पश्चात् आश्रय लेने के लिए वे अक्सर बंग्लादेश के क्षेत्र का इस्तेमाल करते है । अधिकांश वारदातों की योजना बंग्लादेश की जमीन पर बनाई जाती हैं और वहां से उनका निष्पादन किया जाता है । इन संगठनों ने काफी मात्रा में आधुनिक हथियार प्राप्त किए हैं और यह माना जाता है कि पूर्वोत्तर के विद्रोही समूहों के साथ इनके निकट संबंध हैं । हाल की रिपोर्टों से पता चलता है कि त्रिपुरा में इनकी कार्रवाई के लिए जहां एक ओर एनएलएफटी और एनएससीएन (आई/एम) के बीच गठजोड़ बढ़ रहा है वहीं दूसरी और एटीटीएफ और यूएलएफए के बीच भी संबंध बढ़ रहे हैं । इन आदिवासी अलगाववादियों /सशस्त्र उग्रवादियों ने पुलिस/सुरक्षा बलों तथा बेकसूर गैर-आदिवासियों (विशेष रूप से बंगालियों पर) हमला करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई है ताकि उन्हें त्रिपुरा छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सके ।पीड़ितों में से अधिकांश गैर-जनजातीय, विशेषकर बंगाली थे । इसके कारण राज्य में जनजातियों तथा गैर-जनजातियों के बीच भारी मतभेद हो गए जिसके कारण अस्थिर नृजातीय स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे जरा से उकसावे पर नृजातीय संघर्ष शुरू हो गए ।

त्रिपुरा सरकार की ओर से उपस्थित होने वाले अन्य सभी गवाहों ने श्री के0 अम्बूली के हलफनामे में निहित अंतर्वस्तु की अभिपुष्टि की । गवाहों के रिकार्ड से प्रतिबंधित संगठनों द्वारा जारी जबरन धनवसूली संबंधी - नोटिस तथा इनके साथ ही इन संगठनों द्वारा किए गए अपराधों के संदर्भ में पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट भी सिद्ध हुई थी । उन्होंने यह बताया कि दोनों ही संगठन त्रिपुरा के अनेक भागों में विध्वंसात्मक तथा पृथकतावादी गतिविधियों में संलिप्त थे, वे बंग्लादेश सीमा पार से अपना काम कर रहे थे और इसलिए पुलिस के लिए उन पर नियंत्रण रखना कठिन हो गया । यह भी कहा गया कि इन संगठनों की कार्यशैली थी लोगों को शस्त्रों के बल पर आंतकित करना तथा कुछ समुदायों को त्रिपुरा के कुछ क्षेत्रों को छोड़ने के लिए धमकाना । वे निर्दोष लोगों तथा सरकारी कर्मचारियों की हत्याओं तथा फिरौती के लिए अपहरण में भी संलिप्त थे जिसके परिणामस्वरूप विकास संबंधी गतिविधियां रूक गई थीं । उपरोक्त प्रतिबंधित संगठनों के गठजोड़ को भी गवाहों ने प्रमाणित किया ।

ऑल त्रिपुरा टाईगर फोर्स के संविधान के अवलोकन से यह पता चलता है कि बल का मुख्य लक्ष्य पूर्वोत्तर के सात राज्यों, अर्थात्-त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैड, मेघालय तथा अरूणाचल प्रदेश को मिलाकर एक पृथक देश का निर्माण करना है और इसके लिए यह बल सभी तरह की गतिविधियों का समर्थन करने वाला था तथा उक्त उद्देश्य के लिए अपने स्वयं के बल का उपयोग करने वाला था । नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट ऑफ त्रिपुरा का मुख्य उद्देश्य सशस्त्र संग्राम करके त्रिपुरा में से साम्राज्यवाद, पूंजीवाद तथा नव-उपनिवेशवाद को नष्ट-भ्रष्ट करके त्रिपुरा की बोरोक सभ्यता की एक विशिष्ट तथा स्वतंत्र पहचान/छवि बनाना; बोरोकलैंड त्रिपुरा को पूरी तरह से आजाद कराना तथा लोगों के गणराज्य के प्रति दृष्टिकोण को इस प्रकार परिवर्तित करना कि राज्य में सच्चा न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व की स्थापना हो । अपनी स्वतंत्र सरकार की स्थापना करने और तथाकथित पूंजीवादी भारत सरकार को हटाने के अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, संविधान में यह कहा गया कि इसका अपना स्वतंत्र झंडा, संप्रतीक, संविधान तथा राजभाषा होगी । इस लक्ष्य को पाने के लिए उनके संविधान में यह प्रावधान है कि

वह ताकत का भी आश्रय ले सकेंगे। सरकार ने राजस्व और कर के नाम पर पंचायत के कर्मचारियों और व्यक्तियों से जबरन धनवसूली संबंधी नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा द्वारा जारी रसीदें भी रिकार्ड में रखी हैं ।

गवाहों के बयान तथा रिकार्ड पर प्रस्तुत हलफनामों तथा दस्तावेजों, जिनमें नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट ऑफ त्रिपुरा तथा ऑल त्रिपुरा टाईगर फोर्स के संविधान, चंदा संबंधी नोटिस तथा जबरन धन वसूली की रसीदें शामिल हैं, के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि नेशनल लिबरेशन फ्रंन्ट ऑफ त्रिपुरा तथा ऑल त्रिपुरा टाईगर फोर्स दोनों के ही मकसद बोरोकलैंड की एक स्वतंत्र पहचान बनाना तथा पूर्वोत्तर के सात राज्यों को मिलाकर एक पृथक देश बनाना है। इन संगठनों के कार्य संचालन के क्षेत्र में पश्चिमी त्रिपुरा धलाई, पूर्वी तथा दक्षिणी त्रिपुरा शामिल हैं । इन संगठनों के पास अत्याधुनिक आग्नेयास्त्र हैं जो कि अवैध स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं । वे भारत में अलगाववादी नीति बरकरार रखना चाहते हैं, वे भारत की संप्रभुता और एकता के लिए हानिकारक गतिविधियों में संलिप्त हैं तथा अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सशस्त्र कार्रवाई के जरिए हिंसा और आतंक में लगे हुए हैं । वे व्यावसायियों, व्यापारियों, यहां तक कि सरकारी कर्मचारियों तक से भी जबरन धन वसूली तथा अवैध रूप से कर-संग्रह कर रहे हैं और उनके सम्पर्क अन्य पूर्वोत्तर विद्रोही गुटों से हैं तथा उन्हें अन्य पूर्वोत्तर विद्रोही गुटों से समर्थन प्राप्त हैं । पड़ोसी देश बंग्लादेश में उनके गुप्त तथा सुरक्षित आश्रय स्थल हैं तथा वे प्रशिक्षण शिविर भी चला रहे हैं तथा गुप्त जरियों अथवा विभिन्न सुरक्षा बलों से छीनकर बहुत से अत्याधुनिक हथियार शस्त्र और गोलाबारूद प्राप्त कर रहे है । ये संगठन नागरिकों, सशस्त्र बलों के कार्मिकों की हत्याओं में लगे हुए हैं तथा लूटमार, जबरन धनवसूली तथा आपराधिक कृत्यों में लगे हुए हैं और इस प्रकार अराजकता का वातावरण बना रहे हैं ।

अधिनियम की धारा 2(च) और 2(छ) में "गैर कानूनी गतिविधि" और "गैर कानूनी संस्था" की परिभाषा निम्न प्रकार की गई है :-

" च किसी व्यक्ति अथवा संस्था के संबंध में "गैर कानूनी गतिविधि" का तात्पर्य किसी व्यक्ति अथवा संगम द्वारा की गई ऐसी किसी कार्रवाई (कोई कार्य करके या शब्दों द्वारा, बोलकर या लिखकर, अथवा संकेत द्वारा या प्रत्यक्ष कथन द्वारा या अन्यथा हो सकता है) से है:-

(i) जिसका उद्देश्य भारत के क्षेत्र के किसी भाग को या संघ से भारत को किसी भी आधार पर पृथक करने के दावे का समर्थन करता है या जो किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह को ऐसे पृथकतावाद या उसे अलग करने के लिए उकसाता है ।

(ii) जो भारत की संघीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखण्डता को अस्वीकार करता है उसके बारे में प्रश्न उठाता है, उसे भंग करता है या भंग करने का इरादा रखता है ।

(छ) "गैर कानूनी संगम" का तात्पर्य किसी ऐसी संस्था से है -

(i) जो अपने उद्देश्य के लिए किसी गैर कानूनी गतिविधि में भाग लेती है या जो किसी गैर कानूनी गतिविधि को करने के लिए व्यक्तियों को उकसाती या सहायता प्रदान करती है या जिसके सदस्य ऐसी गतिविधि में भाग लेते हैं ।"

रिकार्ड पर पेश किए गए साक्ष्य को देखने से स्पष्ट होता है कि उपरोक्त दोनों संगठन अर्थात् नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स विद्रोही , अलगाववादी और हिंसक गतिविधियों में लगे हुए हैं और नागरिकों , सेना व पुलिस कार्मिकों की हत्या करने, जनता व व्यापारियों से धन ऐंठने जैसे कार्यो का आश्रय ले रहे हैं ताकि गुप्त चैनलों के जरिए या विभिन्न सुरक्षा बलों से छीनकर अत्याधुनिक शस्त्र व गोलाबारूद प्राप्त किये जा सके । इन संगठनों का अन्य पूर्वोत्तर अलगाववादी विद्रोही गुटों के साथ सम्पर्क है और उन्हें उनका समर्थन प्राप्त है । इन दोनों सगठनों का उद्देश्य त्रिपुरा को भारत से अलग करके एक अलग राज्य बनाना है या किसी भी स्थिति में त्रिपुरा समेत सभी सातों पूर्वोत्तर राज्यों को प्रभुता सम्पन्न राज्य बनाना है । रिकार्ड पर प्रस्तुत साक्ष्यो से यह भी सिद्ध होता है कि यदि इन संगठनों को अपनी गतिविधियां जारी रखने की अनुमति प्रदान की जाती है तो वे विद्रोही और गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त हो जाएंगे । दोनों संगठन धन ऐंठने, लूटपाट करने जैसी विभिन्न हिसक गतिविधियों में लगे हुए हैं और त्रिपुरा राज्य में कानून व व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ रहे हैं । उनके कार्यकलाप भारत की प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय एकता को विघटित करने के लिए है और यदि इन्हें रोका नहीं गया तो न केवल विधि विरूद्ध कार्यकलाप बढ़ेंगे बल्कि राज्य में भारत से अलगाव का वातावरण भी सृजित किया जा सकता है । अतः उनके कार्यकलाप देश की प्रभुसत्ता और एकता के लिए स्पष्ट खतरा हैं । ये संगठन भारत के क्षेत्र के एक भाग को संघ से अलग करने का समर्थन कर रहे हैं और इसी प्रकार कार्य कर रहे हैं और अलग-अलग व्यक्तियों तथा व्यक्तियो के दलों को देश से ऐसा अलगाव करने के लिए दुष्प्रेरित कर रहे हैं । स्पष्टतयता उनके कार्यकलाप अधिनियम की धारा 2 (च) के अंतर्गत यथापरिभाषित विधि विरूद्ध कार्य कलाप हैं ।

उपर्युक्त कारणों से, मैं संतुष्ट हूं कि नैशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा तथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स को विधि विरूद्ध संगम घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद था । तदनुसार, यह प्राधिकरण केन्द्र सरकार द्वारा विधिविरूद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई दिनांक 3 अक्तूबर, 2001 की अधिसूचना द्वारा की गई घोषणा की पुष्टि करता है ।

1 अप्रैल, 2002

[सं. 9/8/2001-एन.ई. I]
सुरेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(N. E. Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2002

In the matter of National Liberation Front of Tripura (NLFT) and All Tripura Tiger Force (ATTF) Report of the Tribunal

REPORT

S.O. 471(E).—By a notification of Ministry of Home Affairs published at New Delhi on 19th October, 2001 in the Gazette of India (Extraordinary) Central Government in exercise of its power conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the Act) declared, National Liberation Front of Tripura (NLFT) and All Tripura Tiger Force (ATTF) as unlawful associations. The said notification reads as under :—

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2001

S.O.986(E) - Whereas the National Liberation Front of Tripura (hereinafter referred to as the NLFT) has its professed aim, to establish an independent 'Borokland Twipra" by liberation of Tripura from India through armed struggle in alliance with other armed secessionist organisations of Tripura and incite indigenous people of Tripura, for secession and thereby the secession of Tripura from India;

And whereas the All Tripura Tiger Force (hereinafter referred to as the ATTF) has its professed aim, the formation of a separate nation of seven sisters comprising Tripura, Assam, Manipur, Mizoram, Nagaland, Meghalaya and Arunanchal Pradesh resulting in bringing about the secession of the said States from India, in alliance with other armed secessionist organisations of the North East region and to carry on armed struggle for separation of these

States from India and thereby secession of these States from India;]

And whereas, the Central Government is of the opinion that the NLFT and ATTF have -

(i) been engaging in subversive and violent activities, thereby undermining the authority of the Government and spreading terror and violence among the people for achieving its objective;

(ii) established linkages with other unlawful associations, viz., the Isak Swu faction of National Socialist Council of Nagaland (NSCN(I/M)], the United Liberation Front of Assam (ULFA) and Meitei extremist outfits of Manipur with the aim of mobilising their support;

(iii) in pursuance of its aim and objective in the recent past, engaged in several violent and unlawful activities which are prejudicial to the sovereignty and integrity of India;

And whereas, the Central Government is also of the opinion that their violent and unlawful activities include -

(a) killing of civilians and personnel belonging to the Police and Security Forces;

(b) extortion of funds from the public including businessmen and traders in Tripura;

(c) procuring large number of arms and ammunitions, including sophisticated ones, through clandestine or illegal channels and inducting them secretly into Tripura through a neighbouring country;

(d) establishing and maintaining camps in a neighbouring country for the purpose of safe sanctuary, training procurement of arms and ammunitions, etc.

(e) establishing and maintaining linkages with

other Tripura tribal extremist groups for causing and fomenting communal clashes between the tribal and non-tribal communities in Tripura;

And whereas, the Central Government is of the opinion that the aforesaid activities of the NLFT and the ATTF are detrimental to the sovereignty and integrity of India and that they are unlawful associations;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the National Liberation Front of Tripura (NLFT) and the All Tripura Tiger Force (ATTF) as unlawful associations;

And whereas, the Central Government is also of the opinion that if there is no immediate curb and control, the NLFT and the ATTF will take the opportunity to -

(i) mobilise their cadres for escalating their secessionist, subversive, terrorist and violent activities;

(ii) propagate anti-national activities in collusion with forces inimical to India's sovereignty and national integrity;

(iii) indulge in increased killings of civilians and targeting of the Police and Security Forces personnel;

(iv) procure and induct more illegal arms and ammunitions from across the international border;

(v) extort and collect huge funds from the public for their activities.

And whereas, the Central Government, having regard to the above circumstances, is of the firm opinion that it is necessary to declare the NLFT and the ATTF as unlawful associations with immediate effect; and accordingly in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-Section (3) of the said Section 3, the Central Government hereby directs that this notification shall,

subject to any order that may be made under Section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

SURENDRA KUMAR, Jt.Secy.

Since in terms of the Act, a reference has to be made to the Tribunal for the purposes of adjudicating whether or not there was sufficient cause for declaring the aforesaid associations, namely, National Liberation Front of Tripura and All Tripura Tiger Force as unlawful associations, the Government of India issued a notification dated 19th October, 2001 under sub-section (1) of Section 5 of the Act constituting this Tribunal for the purposes of adjudicating whether or not there was sufficient cause of declaring the National Liberation Front of Tripura and All Tripura Tiger Force as unlawful associations. The said notification reads as under:-

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION
New Delhi, the 19th October, 2001

S.O.1054(E).-- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act,, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes "The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal" consisting of Shri Justice S.K.Mahajan, Judge of Delhi High Court, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause of declaring the All Tripura Tiger Force and National Liberation Front of Tripura, as unlawful associations.

SURENDRA KUMAR, Jt.Secy.(N.E.)

The object of declaring the aforesaid organisations as unlawful associations under the Act was that these organisations were espousing secession of Tripura from the Union of India and to achieve this objective they were continuing to indulge in secessionist, subversive, violent and terrorist activities. The said organisations with a view to achieve their secessionist aims and objectives had adopted separate Constitutions providing for a separate 'people's republic Government' with the trappings of a civilian set-up. They had also maintained separate armed wing with a hierarchical setup on the pattern of the regular army and were equipped with a large number of weapons, including sophisticated weapons. It was the case of the Government that since their formation the National Liberation Front of Tripura and All Tripura Tiger Force were responsible for a large number of subversive activities including attack on police and paramilitary forces, looting of arms and ammunitions, violence against civilians, kidnappings and extortion and they were continuing to procure arms and ammunition by illegal means. Their secessionist activities were threatening the sovereignty and integrity of the country, disturbing public order, thwarting development of the State and creating terror among the people. They were imposing heavy extortion on the people and government

employees through tax notices. It was also the case of the Government that Tripura was facing low key insurgency for the last 20 years. Though around 20 armed tribal groups had been identified on ground, only 2 of them (ATTF and NLFT) were responsible for majority of killings and had some ideological mooring with main activities remaining confined to murders, looting, extortions, abductions, etc. for monetary gains. Broadly, the entire Tripura Tribal Area Autonomous District Council (TTAADC) area, having dense jungles and predominated by tribals, was affected by violence perpetrated by tribal extremists and miscreants. The violence was mostly targeted against non-tribals. Areas falling outside TTAADC, predominated by non-tribals (Bengalis), were much less affected.

The violence and extortion by both the NLFT and ATTF had been continuing despite declaration of 29 police stations in the State as fully or partially disturbed. In fact, violence by the NLFT, which has been going up steadily, reached an all time high during 2000, in which 216 persons were killed by the NLFT and 484 others were abducted in 491 incidents of violence. The communal content of the NLFT violence has also shown a significant increase. The ATTF violence, which was showing a declining trend in previous years, has shown an increasing trend in the year 2001. Both the outfits have

been advocating ouster of non-tribals, particularly Bengalis, from Tripura. The attacks by the cadres of these outfits are mainly directed against non-tribals, giving rise to frequent ethnic clashes and tensions on the slightest provocation. Very strong under current of tribal-non-tribal tension continues in the state due to activities of these militant outfits.

There had been increase in violence by these two outfits since 1997 as per details given below:

Year	No.of persons (Security Forces/Police) killed by	
	ATTF	NLFT
1997	95(-)	116(44)
1998	38(1)	149(21)
1999	42(7)	154(33)
2000	23(4)	216(11)
2001	47(9)	170(26)

The ATTF and NLFT are the two main organised terrorist groups, with the former demanding a separate state of 'tribal land' and the latter still espousing liberation of Tripura.

The ATTF, which was formed in mid 1993, has a membership of around 150 hardcore armed cadres and is led

by Ranjit Debbarma. It is active in whole of Dhalai district; Khowai, Kalyanpur, Teliamura, Jirania, Takarjala and Sidhai PS areas of West Tripura district; Kailashahar, Fatikroy and Kanchnapur PS area of North Tripura district; and Birganj, R.K.Pur, Taidu and Ompi PS areas of South Tripura district.

The NLFT, which was formed in 1989, is led by Biswa Mohan Debbarma and has about 200 hardcore armed cadres. It is known to have areas of influence in whole of Dhalai district, Kalaynapur and Takarjala PS areas of West Tripura district; Kanchnapur and Vaghman PS areas of North Tripura district; and Birganj, Taidu, Nutan Bazar, Shantirbazar and Ompi PS areas of South Tripura district. The declaration of 19 police stations in Tripura as disturbed areas in February, 1997 and more areas subsequently has not in any way affected the activities of the NLFT. Rather, the outfit has been able to further strengthen its hold in different areas and emerge as the major terrorist group in Tripura.

Both the ATTF and NLFT have training camps and hide outs in Bangladesh and have been using the Bangladesh territory frequently for taking shelter after indulging in major incidents of violence. Most of these incidents have been planned in and executed from Bangladesh soil. They have acquired a sizeable number of sophisticated weapons and are known to be maintaining

close links with other North-East insurgent groups. Recent reports indicate a growing nexus between the NLFT and NSCN(I/M) on the one hand and the ATTF and ULFA on the other in their operations in Tripura.

These tribal extremists/armed miscreants have shown little hesitation in attacking Police/Security Forces and innocent non-tribals (particularly Bengalis) with a view to forcing them to leave Tripura. Most of the victims of the terrorists are non-tribals, particularly Bengalis. This has caused wide schism between the tribals and non-tribals in the State leading to volatile ethnic situation, which gives rise to ethnic clashes on slightest provocation.

It was further the case of the Government that despite the above two organisations having been banned for a period of four years, the tribal insurgency remained the most serious security concern in Tripura. Both the National Liberation Front of Tripura and All Tripura Tiger Force continue to resort to massive mobilisation of funds by unlawful tax collections, extortion and even kidnapping and abduction for ransom. The Constitution of the National Liberation Front of Tripura and All Tripura Tiger Force specifically speak of secession of Tripura from India by demanding separate State of tribal land as their ultimate objective.

Both the aforesaid organisations were banned

for the first time in 1997. However, despite the ban, the said organisations have continued their insurgent activities causing serious security concern in Tripura. The Government was, therefore, of the opinion that there was justification for fresh notification to continue the ban on these organisations for a further period of two years with effect from 3rd October, 2001. The present notification dated 3rd October, 2001 was, therefore, issued declaring both the aforesaid organisations, namely, National Liberation Front of Tripura and All Tripura Tiger Force as unlawful associations with immediate effect in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the Act and reference was made to this Tribunal for adjudicating whether or not there was sufficient cause for declaring the said organisations as unlawful associations under the Act. The following factors were taken into consideration by the Government for deciding further extension of ban:-

"i) Continued espousal of the policy of secession of Tripura from the India by the NLFT and formation of a separate nation of seven sisters by the ATTF;

ii) Continued engagement in activities prejudicial to the sovereignty and integrity of India;

iii) Continued adoption of violence and terror through armed action as means for achieving their objective;

iv) High levels of extortions and illegal tax

collections from the public including businessmen, traders and even Government employees;

v) Links and support to other North-East insurgent groups: While the NLFT has developed links with the Isak-Muivah faction of the National Socialist Council of Nagaland [NSCN(I/M)], the ATTF has developed links with the United Liberation Front of Assam (ULFA) and the Meitei extremist groups of Manipur;

vi) Continued maintenance of sanctuaries, safe havens and training camps in neighbouring Bangladesh;

vii) Procurement of large number of sophisticated arms and ammunition through clandestine channels or by snatching from various security forces."

On reference being received and on being satisfied after hearing the representatives of the Government and on perusal of the material produced before the Tribunal, notices were issued to both National Liberation Front of Tripura and All Tripura Tiger Force under sub-section (2) of Section 4 of the Act. Notices were directed to be served in the same manner as the notification banning National Liberation Front of Tripura and All Tripura Tiger Force were served by the Central Government i.e. through the Daily National and local newspapers circulated and published in Tripura as well as by broadcasting on radio and television. Notices were also directed to be served by pasting the same on the Notice Board of the office of each District Magistrate/Tehsildar at the Headquarters of the District

or Tehsil, as feasible. Notices were also directed to be served by publication in a daily newspaper circulated in the locality where these organisations had their establishments or presence was known in the State of Tripura and outside. On 20th December, 2001 when the Tribunal had its sitting in Delhi, it was brought to the notice of the Tribunal that notices were duly served upon both the organisations by publication in the newspapers "Dainik Sambad" of 24th November, 2001; "Desher Katha" of 23rd November, 2001; "Bhabi Bharat" of 23rd November, 2001 and "Tripura Observer" of 24th November, 2001. Notice was also arranged to be served through the local stations of All India Radio and Doordarshan through its various bulletins and vide publicity was given to the notices by affixation at the conspicuous parts of the office of the District Magistrate, Sub-Divisional Magistrates and Block Development Officers. After hearing learned counsel for the State of Tripura and the Union of India, the Tribunal was satisfied that since no known address of the banned organisations was available with the Departments, the service by publication in the newspapers and through the All India Radio, television and by affixation was proper service upon the said organisations. As no one was present on behalf of these organisations, the Tribunal proceeded with the matter in their absence and directed both the State Government as

well as the Union of India to file affidavits by way of evidence in support of their contentions justifying the ban on the aforesaid two organisations.

Affidavits were duly filed on behalf of State of Tripura as well as Government of India and in the hearing held on 4th February, 2002 it was directed that the Tribunal will hold further hearing in the matter at Delhi on 8th March, 2002 and at Agartala on 16th and 18th March, 2002. However, in the hearing held at Delhi on 8th March, 2002, the dates fixed earlier for hearing at Agartala were changed and it was directed that the evidence will be recorded and hearing will be held at Agartala from 21st to 23rd March, 2002. On 22nd March, 2002 the Tribunal held its sitting at Agartala and recorded the evidence of eight witnesses which include Mr.K.Ambuly, Jt.Secretary (Home), Government of Tripura; Mr.Ram Phal, Under Secretary (Home), Government of India; Mr.Manish Kumar, District Collector, West Tripura; Mr.Anurag, Superintendent of Police, West Tripura; Mr.A.Nath, Addl. Superintendent of Police, Rural West District, Tripura; Mr.Nandlal Das, Sub-Inspector of Police, Kachucherra, P.S.Ambassa, Dhalai District, Tripura; Mr.M.L.Majumdar, Addl. Superintendent of Police, C.I.D., Tripura and Mr.Jitendra Debbarma, Sub-Divisional Police Officer, Kailashahar, North Tripura.

Mr.K.Ambuly, Joint Secretary (Home), Government of Tripura on affidavit stated that both NLFT and ATTF have continued to espouse secession of Tripura from the Union of India as their aim and objective, and to achieve this objective, they were continuing to indulge in secessionist, subversive, violent and terrorist activities. The constitutions of both the NLFT and ATTF speak of secession from the Indian Union as their objectives. According to Mr.Ambuly, Tripura, formerly a princely state, was integrated into the Union of India in October, 1949. After its merger, Tripura became an integral part of India. According to Mr.Ambuly, to achieve their secessionist aims and objectives, ATTF and NLFT have adopted a separate constitution providing for a separate 'people's republic Government' with the trappings of a civilian setup. They have also maintained separate armed wing with a hierarchical setup on the pattern of the regular army. They are equipped with a large number of weapons, including sophisticated weapons.

It was also stated that since their formation, the NLFT and ATTF have been responsible for a large number of subversive activities. The activities include attack on police and paramilitary forces, looting of arms and ammunitions, violence against civilians, kidnappings and extortion. They also appear to continue to procure arms and ammunition by illegal means. With the objective

of achieving their professed aim of establishing an independent 'Borokland Twipra' by 'liberating' Tripura from the Indian Union, the NLFT and ATTF have been indulging in various secessionist and subversive activities aiming at threatening the sovereignty of the country, disturbing public order thwarting development of the State and creating terror among the people.

The ATTF and NLFT impose heavy extortion on the people and Government employees through 'tax notices'. ATTF and NLFT indulge in large number of violent and criminal incidents. Gist of reports on major crimes committed by NLFT and ATTF outfits is given below:-

CRIMES COMMITTED BY N.L.F.T. DURING THE YEAR 2000

On 1.1.2000, at about 1730 hrs., 14/15 unknown NLFT extremists raided the village Kashi Chandra Para under Taidu Police Station (PS) AND KILLED RABI DEBBARMA, (60) S/O Late Ananta Debbarma and set fire to the house of the deceased and others. As a result 6 huts were gutted. The extremists assaulted 10 tribal persons of Kashi Chandra Para causing injuries to them. (Taidu PS Case No.1/2000 U/S 148/149/325/302/436 IPC, 27 Arms Act & 13 of Unlawful Activities (Prevention) Act).

On 8.1.2000, at about 1230 hrs. a group (13/14) of NLFT extremists detained Asharambari bound passenger jeep (TRT-2327) at West Karangicherra, PS

Khowai and set fire to it. When the passengers started running the extremists open fire upon them. As a result, 5 passengers namely (1) Narayan Das (34) S/O Lt.Nripendra Das (2) Manik Soutal (38) S/O Lt.Dukhal Soutal, (3) Ramlal Gour (28) S/O Lt.Megnath Gour, (4) Monoranjan Sabar (30) S/O Lt.Tobra Sabar and (5) Lolu Das (22) (Driver of TRT-2327) S/O Lt.Gosai Gobinda Das, all of Asharambari, PS Khowai died. 6 more passengers, all residents of Asharambari sustained grievous injuries and were shifted to Khowai Hospital. (Khowai PS Case No.2/2000 U/S 148/149/302/307/427 IPC & 27 of Arms Act).

On 12.1.2000, at about 1430 hours a group of NLFT extremists detained a Silachari bound passengers bus (TRS-1511) at Alutola on Natunbazar-Silachari road, PS Nutanbazar and gunned down on Narayan Choudhury (50) S/O Lt.Bipin Choudhury of Gorakappa, PS Sabroom. The extremists also kidnapped one passenger namely Ranjit Shil (45) S/O Lt. Gobinda Shil of Mailak, PS Birganj. Due to firing one Smt. Arati Karmakar of Gorakappa, PS Sabroom sustained injury on her person. The extremists also snatched away ornaments, cash, etc. from said Smt. Karmakar. (Nutanbazar PS Case No.1/2000 U/S 396/364(A) IPC & 27 of Arms Act.

On 28.1.2000, at about 1030 hrs. 6 unknown NLFT extremist fired at the vehicle of Police Circle Inspector, Takarjala at Tufaniamura, PS Takarjala while

he along with his security staff were coming towards Bishalgarh. The staff repulsed the attack by firing 5 rounds. No casualty was reported. (Takarjala PS Case No.5/2000 U/S 307 IPC & 27 of Arms Act.

On 12.2.2000, around 1830 hrs. 7/8 NLFT extremists raided the house of Sachindra Namasudra of South Mechuria, PS Salema and kidnapped 4 persons namely (1) Debendra namasudra, S/O Dinesh Namasudra (2) Tapan Namasudra S/O Girindra Namasudra (3) Manmohan Namasudra S/O Girinda Namasudra (4) Prahallad Namasudra S/O Rajendra Namasudra all of South Mechuria, PS Salema. (Salema PS Case No.7/2000 U/S 364(A) IPC & 27 of Arms Act).

On 18.2.2000, around 1010 hrs. 7/8 extremists killed on Dhirendra Kr.Nath, S/O Lt.Joygobinda Nath of Jhore hat, PS Bhorehut, Assam, the Manager of Gournagar Tea Estate and injured two others namely (1) Smti Bindu Rani Nath W/O Lt.Dhinrendra Kr.Nath and (2) Shri Lal Mohan Kabir Phanti S/O Raj Kumar Phanti, Driver Gournagar Tea Estate when they were performing their duties at Tea Estate (Dharamanagar PS Case No.13/2000 U/S 365/302/325 IPC & 27 of Arms Act).

On 5.5.2000, at about 2200 hrs. a group (7/8) of NLFT extremists raided the house of Gopal, Majumdar of East Charakbai, PS Baikhora and opened fire causing injuries to Nepal Majumder, brother of Gopal Majumder who

was admitted to Mahuripur PHC. The extremists also kidnapped Ranjit Majumder, smti Saraswati Majumder and Smti Sephali Nama all residents of East Charakbai, PS Baikhora. (Baikhora PS Case No.32/2000 U/S 148/149/326/364(A) IPC, 27 of Arms Act).

On 3.9.2000, at about 1900 hrs. a group (10/12) of NLFT extremists raided the house of Durga Debnath of Radhanagar, PS Fatikroy and inflicted injury upon him. He was shifted to R.G.M. Hospital, Kailashahar. The group further raided the house of Prasanna Debnath and kidnapped his minor daughter Rupali Debnath at the point of gun. (Fatikroy PS Case No.77/2000 U/S 364(A)/326/34 IPC & 27 of Arms Act).

On 18.10.2000, at about 2000 hrs. 2 of NLFT extremists killed one Saruj Debbarma alias Pethan (an ATTF returnee) at Sachindranagar Colony (Pump House) PS Kalyanpur and also assaulted Smti Nirubala Debbarma W/O the deceased (Kalyanpur PS Case No.96/2000 U/S 302/325/34 IPC & 27 of Arms Act).

On 14.10.200, a group of NLFT extremists led by Bikramjit Tripura, kidnapped one Pijush Name of Kartickcherra, PS Manu. On 13.9.2000 at about 1900 hrs. the said NLFT group kidnapped (1) Smti Sunita Majumder (2) Miss Archana Majumder from West Masli, PS Manu. The case was registered on 10.10.200 (Manu PS Case No.58/2000 U/S 448/364(A)/34 IPC.

CRIMES COMMITTED BY A.T.T.F. DURING THE YEAR 2000

On 16.2.2000, at about 0930 hrs. 15/16 ATTF extremists fired on a bus (TRS-1508) with sophisticated arms while the bus was coming from Jatanbari to Amarpur with passengers at Chellagang Mukh, PS Nutanbazar. As a result 8 persons received bullet injuries namely (1) Smti Gita Rani Sarkar (42) W/O Shri Janardhan Sarkar of Jatanbari (2) Janardhan Sarkar (50) S/O Uppendra Sarkar of -do- (3) Badal Paul S/O Jogesh Paul of -do- (4) Dulal Acharjee S/O Ltd. Prafullya Acharjee of Chandrapur (5) Dwaipayan Acharjee S/O Shri Dulal Acharjee of -do- (6) Satish Das S/O Shri Birendra Das of Jatanbari (7) Shyamsundar Debnath S/O Madan Mohan Debnath of Nutanbazar (8) Smti Pranati Acharjee W/O Dulal Acharjee of Chandrapur, PS East Agartala. ATTF also kidnapped 3 persons namely S.K.Das, Junior Intelligence Officer of SIB posted at Ambassa (2) Swarajit Dey S/O Nikhil Chandra Dey of Jatanbari (3) Another unknown person from said bus. (Nutanbazar PS Case No.9/2000 U/S 148/149/326/364(A) IPC & 27 of Arms Act).

On 25.3.2000, at about 0945 hrs. an encounter took place at Tapsapara under PS Birganj between 11 Bn.CRPF and ATTF extremists. The encounter lasted for about 30 minutes. 9 Bn.CRPF from Nutanbazar who were on special operations duty at Rabraibari also came forward

towards Tapsapara and exchange of firing took place with them. After encounter, the CRPF staff recovered an unidentified dead body of extremist, one AK-56 Rifle with 20 live cartridges, 3 Magazines, one empty cartridge of AK Series, one Kukri, one green coloured bag, some paper of ATTF. (Birganj PS Case No.22/2000 U/S 148/149/353/307 IPC, 27/25(1-B)(a) of Arms Act.

On 5.3.2000, at about 1230 hrs. Jagabandhu Debbarma alias Nirmal S/O Hemnata Debbarma and 7/8 other ATTF collaborators of katachera, PS Sidhail launched attack on Shri Ratish Das S/O Kshitish Ch.Das and others of Satchari, PS Sidhai. As a result Smti Sabitri Das (28) W/O Pijush Das (2) Jhutan Ghosh (6) S/O Sakti Pada Ghosh and (3) Pinki Das (9) D/O Bhanualal Das all residents of Satchari PS Sidhai sustained bullet injuries. Injured Smti Sabitri Das and Jhutan Ghosh were shifted to G.B.Hospital, Agartala. (Sidhai PS Case No.13/2000 U/S 326/307/34 IPC & 27 of Arms Act).

On 30.4.2000, at about 1900 hrs. unknown armed ATTF extremists abducted Kutum Pada Jamatia of Duluma Chanduk Cherra from Tapsa Para, PS Birganj while he was going to his house from Duluma after taking tea. subsequently the dead body of Kutum Pada Jamatia was found at Tapsapara. The extremists also assaulted (1) Ananda Charan Jamatia (2) Shib Dayal Jamatia (3) Jogendra Mohan Jamatia (4) Bichitra Kr.Jamatia and (5) Biswanath

Jamatia. The case was registered on 02.05.2000 (Birganj PS Case No.31/2000 U/S 364/302/34 IPC).

On 7.5.2000, at about 2000 hrs. a group of ATTF extremists fired at Priti Kumar Debbarma of Tulkarai Bari, PS Khowai at Senkaribari, PS Khowai while he was returning to his house from Baijalbari Bazar. As a result aforesaid Priti Kr.Debbarma sustained grievous injury and was shifted to G.B.Hospital, Agartala. (Khowai PS Case No.45/2000 U/S 326/307 IPC & 27 of Arms Act).

On 11.6.2000, at about 1300 hrs. a group (5/6) of ATTF extremists kidnapped Rakesh Debbarma of Dongorbari and Nihar Debbarma of Melkabari, both under PS Kalyanpur from the house of Nihar Debbarma. After taking them to Kawabassa, PS Khowai both of them were killed by gun shot and with sharp cutting weapons. (Kalyanpur PS Case No.66/2000 U/S 364/302/34 IPC & 27 of Arms Act).

On 31.1.2000, at about 0930 hrs. a group of ATTF extremists detained two trucks (TRL-2760 and TRL-2077) at Paharpur on amarpur-Nutanbazar road, PS Birganj and kidnapped (1) Manu Miah (45), Driver S/O Tabjal Miah (2) Billal Miah, Assistant S/O Ahid Miah (3) Makhan Das (Labour), all residents of Rajdharnagar (4) Malu Miah (32) Driver of TRL-2077 of Rajarbag (5) Babul Das, Assistant of TRL-2077 of Maharani (6) Ganesh Paul (Labourer) of Maharani and (7) another labourer (name not

ascertained) (Birganj PS Case No.9/2000 U/S 148/149/364(A) IPC).

On 27.9.2000, at about 2030 hrs. a group (4/5) of ATTF extremists raided the house of Santi Jamatia of Santipara, PS Raishyabari and gunned him down. (Raishya Bari PS Case No.11/2000 U/S 302/448/34 IPC & 27 of Arms Act).

On 18.9.2000, at about 1430 hrs. a group of ATTF extremists gunned down one Harendra Debbarma of Biswa Kr.Para, PS Kalyanpur at Uttar Maharanipur Bazar, PS Kalyanpur. (Kalyanpur PS Case No.89/2000 U/S 302/34 IPC & 27 of Arms Act).

CRIMES COMMITTED BY A.T.T.F. DURING THE YEAR 2001

On 27.9.2001, at about 0515 hrs. an encounter took place at Harischandra para under Jirania PS between operations party of C/32 BN.CRPF and a group of armed ATTF extremists. After encounter, CRPF staff recovered 3 Haversacks, 26, 7.62 live ammunition, 3 AK-47 ammunition etc. The CRPF staff also detained one Sankar Debbarma S/O Subash Debbarma of Burakha, PS Jirania (Jirania PS Case No.90/2001 U/S 148/149/353/307 IPC & 27 of Arms Act).

On 29.7.2001, at about 0630 hrs. an encounter took place between 118 Bn.CRPF and ATTF extremists at Nakshtrabari (about 24 KM from Khowai PS) under Khowai

PS. As a result, one ATTF extremist namely Bishu Munda (22) S/O Shri Gaja Munda of Nakshtrabari died on the spot. The operations party recovered one country made gun and 3 empty cartridges from the place of occurrence (Khowai PS Case No.28/2001 U/S 148/149/307 IPC & 27 of Arms Act).

On 20.5.2001, at about 0051 hrs. acting on a secret information about movement of a group (50/60) of ATTF extremists at Mohan Kobra and its adjoining areas under Jirania PS. Special operations parties were organized with CRPF/Special Task Force (STF), Tripura State Rifles (TSR) and District Police. While the CRPF party approached towards the hideout at 0500 hrs. the extremist group opened fire. The CRPF staff retaliated by firing. During exchange of fire one unknown extremist died at spot.

On requisition by operations party, reinforcement was sent by SDPO Jirania. In the morning, there was a exchange of fire with extremists and the extremists group was prevented from crossing Ghagra para. When the reinforcement parties were approaching towards the extremists the extremists opened fire indiscriminately from small arms followed by throwing H.E. Grenade. In that encounter, Monoranjan Debbarma, Sub-Divisional Police Officer (SDPO) Jirania and Head Constable Sudip Saha sustained bullet injuries. SDPO

Jirania succumbed to injury at the spot and Sudip Saha was shifted to G.B.Hospital, Agartala. In the meantime, one platoon CRPF let by C.O. 55 Bn.CRPF rushed to the spot. During encounter one unidentified extremist and one AK-56 rifle with magazine 6 live cartridges of AK series rifle, 5 empty cartridge of AK series rifle and one Chinese Grenade etc. were recovered from his possession. (Jirania PS Case No.57/2001 U/S 148/149/353/307/326/302 IPC & 27(1-a)/27 of Arms Act).

On 9.4.2001, at about 1800 hrs. while on ONGC Survey Party was returning from Sanitala (Tamakari) area under escort of a contingent of CISF, an armed ATTF extremist group attacked them on the road in between Sanitala and Barkatal. As a result, 2 CISF personnel received bullet injuries on their persons and shifted to G.B.Hospital, Agartala. During encounter one motorcycle rider namely Ranjit Debbarma, a Kokbarak Teacher of Ramasadhupara School also received bullet injuries and subsequently succumbed to his injuries at G.B.Hospital, Agartala, (Sidhai PS Case No.27/2001 U/S 148/149/326/302/307 IPC & 27 of Arms Act).

On 20.4.2001, in between 1600 hrs. and 1615 hrs. an encounter took place in between one Company of TSR 3rd Bn. and ATTF extremists in the area of Kine Kishore para and Bhuiyacherra, PS Raishyabari. As a result one Lethar Debbarma alias Layar died at spot and

Arannya Jamatia alias Akbar of Bhuiyacherra received bullet injury and subsequently died. After encounter Police recovered one country made gun and 3 rounds from the place of occurrence. (Raishyabari PS Case No.04/2001 U/S 148/149/353/307/326/324 IPC & 27 of Arms Act).

On 7.4.2001, at about 1500 hrs. ATTF extremists raided the village Chandra Das (Kamala Ashram) and set fire to the house of Kriti Bushan Chakma, Sumati Rn.Chakma, Benulal Chakma and Tungia Chakma, all residents of Kamala Ashram, PS Raishyabari. As a result their houses were gutted. A Buddha temple which was situated near the house of Kriti Bhushan Chakma was also gutted. (Raishyabari PS Case No.02/2001 U/S 436/34 IPC).

On 28.4.2001, at about 2000 hrs. a group of ATTF extremists launched attack on a jeep near Birchandra Para, PS Kalyanpur and killed the driver Gopal Debbarma of Sonachari, PS Kalyanpur and Kulendra Debbarma of Sumantapur, PS Champahawar. (Kalyanpur PS Case No.14/2001 U/S 148/149/302/307 IPC & 27 of Arms Act).

On 28.2.2001, at about 0535 hrs. a group (20/25) of ATTF extremists raided the house of Bishurai Debbarma of Khengrai, PS Jirania and kidnapped his son Bhabendra Debbarma of Khengrai, PS Jirania and kidnapped his son Bhabendra Debbarma and dragged him upto Dashapara, PS Sidhai and killed him by chopping (Jirania PS Case No.28/2001 U/S 448/364/302/34 IPC).

On 27.5.2001, at about 0825 hrs. 3 dead bodies of unknown tribal youths were recovered with bullet injuries from Tingharia Railway track. They were killed by ATTF extremists under suspicion that they were collaborators or member of NLFT extremists. (Teliamura PS Case No.37/2001 U/S 302 IPC & 27 of Arms Act).

On 26.4.2001, at about 1015 hrs. the escort party of Shri Pranab Debbarma, MLA and Shri Radha Charan Debbarma, Leader of the Opposition, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council (TTAADC) was ambushed at kaintokobra, PS Jirania by suspected ATTF extremists. As a result ASI Narayan Debnath of Jirania PS (2) H/C Badal Bhowmik, (3) C/670 Rajib Debroy (4) C/227 Surendra Debbarma (5) C/69 Rajendra Debbarma (6) D/C Bimal Deb and (7) C/2070 Sandhyaram Debbarma died on the spot, Rifleman Sadhan Sarkar of 1st Bn.TSR and Khokan Das (Driver) of Champamura, PS Jirania died in G.B.Hospital, Agartala. Beside these three other riflemen sustained grievous injuries. Extremists also snatched away 2 SLRs, 1*303 Rifle and one Stan gun from their possession (Jirania PS Case No.48/2001 U/S 396//307/326 IPC & 27 of Arms Act).

CRIMES COMMITTED BY N.L.F.T. DURING THE YEAR 2001

On 3.2.2001, at about 1000 hrs. an encounter took place at Jaingbari, PS Killa in between NLFT extremists and special operations party of Killa PS.

After encounter, police recovered one unidentified dead body of extremist aged about 23/24 years, one loaded carbine, 3 Magazine loaded with 126 live rounds, one pocket diary, 4 Cassettes and Rs.2,730/- in cash (Killa PS Case No.1/2001 U/S 148/149/364(A)/307 IPC & 25(1-B)(a)/27 of Arms Act).

On 21.7.2001, in between 0330 hrs. and 0345 hrs. a group (15/16) of NLFT extremist raided the house of Ratanjoy Reang S/O Late Sambarai Reang of Ramdula Para, PS Pechartal (About 20 KM from PS) (2) Padmajoy Reang (65) S/O Haipaiya Reang (3) Rabindra Reang (28) S/O Lt. Sukramani Reang and forcibly took them from their houses, the started to beat them causing injuries to them for non-payment of money as a percentage of work being taken from Pecharthal Block for Ramdula Para village. Later one, the extremists gunned down said Ratanjoy Reang. (PTL PS Case No.32/2001 U/S 148/149/325/302/307 IPC & 27 of Arms Act and 10/13 of Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967).

On 30.7.2001, at about 1900 hrs. a group of armed NLFT (20/25) extremists led by Mangal Debbarma raided the Aswini Debbarma S/O Ltd.Rabi Charan Debbarma of Bhuban Das Para, vitar Mainama, PS Manu (About 12 KM from Manu PS), assaulted the house inmates by lathi etc. took away said Aswini Debbarma from his house towards village road and killed him with sharp cutting weapons.

Deceased Aswini Debbarma was member of CPI(M), LTV Sub-Divisional Committee. Due to assault, brother of Aswini Debbarma namely Binoy Debbarma (65) sustained injuries (Manu PS Case No.23/2001 U/S 448/325/302/34 IPC & 27 of Arms Act).

On 30/31.7/2001 night, at about 0030 hrs. a group of NLFT (20/25) extremists led by Mangal Debbarma alias Maifung raided Bidyajoy Para, Lalcherra under Manu PS and took away one Khalendra Chakma (60) S/O Lt.Paidya Chakma of Sought Lalcherra, PS Manu at the point of gun from his house. The gang also took away one Bidyajoy Reang (65) S/O Lt.Grahan Ch.Reang of Bidyajoy Para, North Lacherra, PS Manu from his house. On 31.7.2001 morning, dead bodies of both the persons were recovered from a bush with mark of sharp cutting injuries. Deceased Bidyajoy Reang was a member of GMP State Committee and Khaldendra Chakma was member of Divisional Committee of CPI (M), LTV (Manu PS Case No.24/2001 U/S 302/434 IPC & 27 of Arms Act).

On 3.8.2001, at about 1930 hrs. one unknown person called victim Sarbajoy Reang S/O Gachiram Reang of Gachirampara, PS Kanchanpur. As he went there, 15/20 armed extremists directed him to go with them. On the way, he was killed by the extremists. (Kanchanpur PS Case No.33/2001 U/S 448/365/302/34 IPC & 27 of Arms Act, 10/13 of Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967).

On 8.8.2001, at about 1000 hrs. one Arun Debbarma of Krishna Charan Para, PS Takarjala stopped the scooter of Mahendra Debbarma S/O Lt.Manindra Debbarma of Murabari, Haria Kobra Para, PS Takarjala on Jampaijala-Takarjala road. He handed over a letter to Udai Debbarma (45) Chairman Block Advisory Committee, Jampaijala Block. After perusal of letter said Udai Debbarma proceeded towards North side. But Udai Debbarma did not return. Subsequently dead body of Udai Debbarma was found at Nimaibari (4 KM N/E from Takarjala PS) with mark of gun shot injuries at about 1245 hrs. A group of NLFT armed extremists committed this crime. (Takarjala PS Case No.18/2001 U/S 302/34 IPC).

On 18.8.2001, around 2000 hrs. a group (7/8) of NLFT extremist raided the house of Jagadish Debbarma, CPI(M) Village Chariman S/O Lt. Chandra Mohan Debbarma of Kendraicherra, PS Takarjala dn forcibly took him away from his house. When Smti Sandhya Debbarma (37) W/O Jagadish Debbarma and her daughter Biniti Debbarma (16) tried to resist them, the extremists assaulted them causing injuries. The extremists gunned down said Jagadish Debbarma (About 2 KM South from his house near Kendraicherra) (Takarjala PS Case No.20/2001 U/S 448/325/302/34 IPC & 27 of Arms Act).

On 21.8.2001, at about 1925 hrs. a group (5/6) of NLFT armed extremists raided the house of Purnendu

Deb, Chairman of East Masli G.P.(Pro-CPI(M) S/O Lt. Paresh Deb of East Masli PS Manu and fired indiscriminately. As a result said Purnendu Deb died at spot and Smti Kanika Deb (25) W/O Purnendu Deb and one Satyendra Deb S/O Shri Manindra Deb of East Masli sustained bullet injury. Both the injured shifted to Manughat PHC. (Manu PS Case No.26/2001 U/S 448/326/302/34 IPC & 27 of Arms Act).

On 31.8.2001, at about 0930 hrs. a group of NLFT extremists (40/45) with sophisticated arms let by Sankar Debbarma raided the house of one Sukhu Debbarma S/O Lt.Krishna Ch.Debbarma of Radha Charan Thakur Para, PS Jirania and took meal in his house. After taking meal the extremists gang took Suku Debbarma and his two cousins namely (1) Sanai Debbarma S/O Shri Sandhya Ram Debbarma and (2) Bishu Debbarma upto Kashi Das Para and fired on them from sophisticated arms. As a result Suku Debbarma and Sanai Debbarma died at spot and Bishu Debbarma sustained grievous injuries. On way to Hospital Bishu Debbarma succumbed to his injuries. (Jirania PS Case No.82/2001 U/S 148/149/302/326 IPC & 27 of Arms Act and 13 of Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967).

On 2.9.2001 night, at about 2130 hrs. a group of NLFT extremists (7/8) with sophisticated arms raided the house of Kirannya @ Hirendra Jamatia (72) S/O Shri Chandra Mohan Jamatia of Noabari, PS Killa and fired

indiscriminately. As a result, Hirannya Jamatia and his wife Olibala Jamatia (68) died at spot. On way back, extremists also killed one Swarna Bhakta @ Kalu Jamatia (32) S/O Ananda Mohan Jamatia of Nityabazar, PS Killa at Joining Bari under Killa PS. Deceased Hirannya Jamatia was Secretary of CPI(M) Killa L/C and deceased Swarna Bhakta Jamatia was a surrendered extremist, (NLFT). (Killa PS Case No.07/2001 U/S 148/149/457/302 IPC & 27 of Arms Act).

On 13.01.2002, around 1800 hrs. a group of tribal extremists armed with sophisticated weapons appeared at Singhicherra, No.2 Chowmuhani about 7 KMs East from Khowai P.S. At that time there was a considerable gathering of the villagers around the shops near No.2 Chowmuhani in connection with "Sankranti' sell/purchase of articles. On arrival at Singhicherra, No.2 Chowmuhani the extremists started firing indiscriminately and as a result of firing 16 persons died and 13 persons were injured. (Khowai PS Case No.01.2002 dated 13.01.2002).

The approximate number of incidents committed by ATTF and NLFT in Tripura during year 2000 and 2001 were as follows: -

	No.of incidents committed			No.of Kidnappings			No.of persons kidnapped			No. of Killings
YEAR	NLFT	ATTF	TOTAL	NLFT	ATTF	TOTAL	NLFT	ATTF	TOTAL	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2000	301	28	329	227	22	249	488	38	526	121
2001	137	26	163	46	10	56	113	21	134	97
Total	438	54	492	273	32	305	601	59	660	218

Mr.Ram Phal, Under Secretary to the Government of India in his affidavit has broadly outlined the objective for banning the two organizations. He also stated that both the ATTF and NLFT had training camps and hide outs in Bangladesh and were using the Bangladesh territory frequently for taking shelter after indulging in major incidents of violence. Most of these incidents were planned in and executed from Bangladesh soil. These organisations had acquired a sizeable number of sophisticated weapons and were known to be maintaining close links with other North-East insurgent groups. Recent reports indicated a growing nexus between the NLFT and NSCN(I/M) on the one hand and the ATTF and ULFA on the other hand in their operations in Tripura. These tribal extremists/armed miscreants had shown little hesitation in attacking police/Security Forces and innocent non-tribals (particularly Bengalis) with a view to forcing them to leave Tripura. Most of the victims of

the terrorists were non-tribals, particularly Bengalis. This had caused wide schism between the tribals and non-tribals in the State leading to volatile ethnic situation, which give rise to ethnic clashes on slightest provocation.

All other witnesses appearing on behalf of the Government of Tripura affirmed the contents of the affidavit of Mr.K.Ambuly. The witnesses proved on record the extortion notices issued by the banned organisations as well as the first information reports registered in respect of the offences committed by these organisations. It was stated by them that both the organisations were engaged in subversive and secessionist activities in many parts of Tripura; they were operating from across the boarder from Bangladesh and it, therefore, becomes difficult for the police to curtail them. It was stated that the modus operandi of these organisations was to terrorise people with arms and threaten certain communities to leave certain areas of Tripura. They were also engaged in killing and kidnapping for ransom of innocent people and Government officials as a result of which development activities were hampered. The Constitution of the aforesaid banned organisations were also proved by the witnesses.

A perusal of the Constitution of All Tripura Tiger Force shows that the main objective of the Force is

to form a separate country comprising of the seven States of North East, namely, Tripura, Assam, Manipur, Mizoram, Nagaland, Meghalaya and Arunachal Pradesh and for this the Force was to support all sorts of movements and utilise their own force for the purpose. The main objective of the National Liberation Front of Tripura was to overthrow imperialism, capitalism and neo-colonialism from Tripura with armed struggle with a view to have a distinct and independent identity of the Borok civilisation of Twipra; to liberate the Borokland Twipra complete freedom and transform a People's Republic with a view to establish the true Justice, Liberty, Equality and Fraternity in the State. With a view to achieve this objective of setting up of its own independent government and overthrow the alleged capitalist Government of India, the Constitution provided that it will have its own independent flag, constitution of emblem and official language. To achieve this objective, the Constitution provided that it will resort to even use of force. The Government has also placed on record receipts issued by National Liberation Front of Tripura regarding extortion of money from Panchayat officials and individuals in the name of revenue and tax.

A perusal of the statement of the witnesses and on perusal of the affidavits and documents placed on record including the Constitution of National Liberation

Front of Tripura and All Tripura Tiger Force, subscription notices and extortion receipts, it is clear that objectives of both the National Liberation Front of Tripura and All Tripura Tiger Force is to establish an independent identity of Borokland Tripura as well as separate country comprising of the seven North-Eastern States. The area of operation of these organisations mainly include West Tripura, Dhalai, North and South Tripura. These organisations possess sophisticated fire arms procured from illegal sources. They are continuing to follow the policy of secession from India; they are continuing to indulge in activities pre-judicial to the sovereignty and integrity of India and indulging in violence and terror through armed action with a view to achieve their objective. They are also indulging in extortion and illegal tax collection from public including businessmen, traders and even Government employees and they have links with and support of other North-East insurgent groups. They are continuing to maintain sanctuaries, safe havens, training camps in neighbouring Bangladesh and are procuring large number of sophisticated arms and ammunitions through clandestine channels or by snatching from various security forces. The organisations are indulging in killing of civilians, armed personnel and are resorting to looting, extortion and other criminal acts and are thus creating a climate

of lawlessness.

Sections 2(f) and 2(g) of the Act define "unlawful activity" and "unlawful association" as under:-

"(f) "unlawful activity", in relation to an individual, means any action taken by such individual or association (whether by committing an act or by words, either spoken or written, or by signs or by visible representation or otherwise)-

(i) which is intended, or supports any claim, to bring about, on any ground whatsoever, the cession of a part of the territory of India or India from the Union, or which incites any individual or group of individuals to bring about such cession or secession;

(ii) which disclaims, questions, disrupts or is intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India;

(g) "unlawful association" means any association-

(i) which has for its object any unlawful activity, or which encourages or aids persons to undertake any unlawful activity or of which the members undertake such activity."

It is clear from a perusal of the evidence produced on record that both the aforesaid organisations, namely, National Liberation Front of Tripura and All Tripura Tiger Force are indulging in subversive, secessionist and violent activities and are resorting to acts of killing of civilians, army and police personnel, extortion of funds from public and traders in Tripura for procuring sophisticated arms and ammunitions through clandestine channels or by snatching from various

security forces. The organisations have links with and support of other north eastern secessionist insurgent groups. The aims and objectives of both the organisations are to secede from India and to form a separate State of Tripura or in any case a sovereign State of all the seven North-Eastern States including Tripura. It is also proved from the material on record that if these organisations are allowed to continue with their activities, they will indulge in insurgent and unlawful activities. Both the organisations are indulging in various violent activities of extortion, looting and are creating a climate of lawlessness in the State of Tripura. Their activities are intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India and if they are not checked, not only that the unlawful activities will increase but also an atmosphere may be created in the State for secession from India. Their activities are thus a clear threat to the sovereignty and integrity of the country. The organisations are advocating and practicing the secession of a part of the territory of India from the Union and are inciting the individuals and groups of individuals to bring about such cession or secession from the country. Their activities clearly amount to unlawful activities as defined under Section 2(f) of the Act.

For the foregoing reasons, I am satisfied that there was sufficient cause for declaring the National Liberation Front of Tripura and the All Tripura Tiger Force as unlawful associations. This Tribunal, accordingly, confirm the declaration made by the Central Government vide notification dated 3rd October, 2001 issued under sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

[No 9/8/2001-N.E.I]
SURENDRA KUMAR, Jt. Secy.

15th April, 2002
~~"Ravindra"~~

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.